2023

राज्य सभा उत्तर

मॉनसून सत्र, 2023 [राज्य सभा का 260th सत्र]

[20th जुलाई ,2023 to 11th अगस्त, 2023]

INDEX

Sl.No.	Question No.	QuestionType	Date	Subject	Division	PageNo.
1.	111	अतारांकित	20.07.2023	निचली अदालत में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के लिए उठाए गए कदम	एनएम	1
2.	113	अतारांकित	20.07.2023	कमजोर वर्गों के लिए वहनीय न्याय	ए2जे	2-3
3.	114	अतारांकित	20.07.2023	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना	नियुक्ति अनुभाग	4-5
4.	115	अतारांकित	20.07.2023	उत्तर पूर्व क्षेत्रों में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की आवश्यकता	नियुक्ति अनुभाग	6-7
5.	116	अतारांकित	20.07.2023	अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण	ई-कोर्ट	8-9
6.	117	अतारांकित	20.07.2023	न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य	ए2जे	10-11
7.	119	अतारांकित	20.07.2023	न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामले और अत्यधिक बोझ	एनएम	12-13
8.	120	अतारांकित	20.07.2023	न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संबंध में आईजेआर रिपोर्ट	नियुक्ति अनुभाग	14-15
9.	122	अतारांकित	20.07.2023	प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति	नियुक्ति अनुभाग	16-18
10.	123	अतारांकित	20.07.2023	कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिक्तियां	नियुक्ति अनुभाग	19
11.	124	अतारांकित	20.07.2023	उच्चतम न्यायालय में बेंच वार लंबित मामले	एनएम	20-24
12.	125	अतारांकित	20.07.2023	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां	नियुक्ति अनुभाग	25-26
13.	126	अतारांकित	20.07.2023	न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की नियुक्ति	नियुक्ति अनुभाग	27
14.	**86**	**तारांकित**	**27.07.2023**	**ई-फाइलिंग सेंटर की स्थापना**	**ई-कोर्ट**	**28-31**

15.	898	अतारांकित	27.07.2023	चरण-3 के अंतर्गत क्रियाशील ई-न्यायालय	ई-कोर्ट	32-36
16.	899	अतारांकित	27.07.2023	न्यायाधीशों की संख्या	एनएम	37-38
17.	901	अतारांकित	27.07.2023	दीवानी और आपराधिक मामलों का लंबित होना	एनएम	39-46
18.	903	अतारांकित	27.07.2023	न्यायपालिका में एससी/एसटी/ओबीसी कोटा	एनएम	47-48
19.	904	अतारांकित	27.07.2023	देश में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थिति	न्याय-II	49-53
20.	907	अतारांकित	27.07.2023	भारतीय न्यायिक सेवा का गठन	नियुक्ति अनुभाग	54-55
21	908	अतारांकित	27.07.2023	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठ वकीलों में से किया जाना	नियुक्ति अनुभाग	56-58
22	1697	अतारांकित	03.08.2023	निःशुल्क कानूनी सहायता देने वाले वकीलों का अनुपात	एलएपी	59-62
23	1698	अतारांकित	03.08.2023	आंध्र प्रदेश में न्यायिक बुनियादी ढांचा	जे आर	63-65
24	1703	अतारांकित	03.08.2023	उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाएँ	न्याय-I	66-67
25	1704	अतारांकित	03.08.2023	मद्रास उच्च न्यायालय के नाम में बदलाव	नियुक्ति अनुभाग	68-69
26	1705	अतारांकित	03.08.2023	देश में जिला न्यायालयों में रिक्तियां	एनएम	70-73
27	1707	अतारांकित	03.08.2023	न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण	एनएम	74
28	1708	अतारांकित	03.08.2023	ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की स्थिति	ई-कोर्ट	75-78
29	1709	अतारांकित	03.08.2023	महाराष्ट्र और दिल्ली न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा	एनएम	79-81
30	1710	अतारांकित	03.08.2023	न्यायपालिका से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास	जे आर	82-83

31	1711	अतारांकित	03.08.2023	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति	नियुक्ति अनुभाग	84-86
32	1713	अतारांकित	03.08.2023	वसीयत और बिक्री-करार के पंजीकरण की आवश्यकता	नियुक्ति अनुभाग	87-88
33	1714	अतारांकित	03.08.2023	लंबित मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा	एनएम	89-91
34	**226**	**तारांकित**	**10.08.2023**	**उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु**	**नियुक्ति अनुभाग**	**92-93**
35	**232**	**तारांकित**	**10.08.2023**	**देश में न्यायालय के प्रकार**	**एनएम**	**94-98**
36	2509	अतारांकित	10.08.2023	न्यायालयों में लंबित मुकदमे	एनएम	99-104
37	2510	अतारांकित	10.08.2023	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण	ई-कोर्ट	105-107
38	2511	अतारांकित	10.08.2023	न्यायालयों में अत्यधिक लंबित मामलों के निपटारे हेतु प्रौद्योगिकी की मदद	एनएम	108-110
39	2512	अतारांकित	10.08.2023	देश में उच्च न्यायालय पीठों की स्थापना	नियुक्ति अनुभाग	111-113
40	2513	अतारांकित	10.08.2023	उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्थानांतरण नीति	नियुक्ति अनुभाग	114-115
41	2514	अतारांकित	10.08.2023	अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद एवं रिक्तियाँ	एनएम	116-119
42	2516	अतारांकित	10.08.2023	लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायिक सुधार	एनएम	120-124
43	2517	अतारांकित	10.08.2023	कानूनी सहायता पर कम खर्च किया जाना	एलएपी	125-126
44	2521	अतारांकित	10.08.2023	न्यायालय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण	ई-कोर्ट	127-129
45	2522	अतारांकित	10.08.2023	महिला न्यायाधीशों का कम प्रतिशत	एनएम	130-131

46	2523	अतारांकित	10.08.2023	मुकदमेबाजी की लागत को कम करने के लिए योजना	एनएम	132-136
47	2524	अतारांकित	10.08.2023	सरल, सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने हेतु कार्य योजना	न्याय-I	137-138

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 111
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

निचली अदालत में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के लिए उठाए गए कदम

111. सुश्री सरोज पाण्डेय :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की निचली अदालतों में वर्तमान में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों में त्वरित नियुक्ति करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जिससे कि लंबित प्रकरणों का निपटारा जल्दी हो सके और आम जनता को जल्दी न्याय प्राप्त हो सके?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 14.07.2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 25,246 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या में से 19,858 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं और इसप्रकार, देश में कुल 5,388 न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियां हैं ।

(ख) : केन्द्रीय सरकार की देश के अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें अपने संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मामले से संबंधित नियमों और विनियमों को विरचित करती हैं । इसप्रकार, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का अंतिम उत्तरदायित्व है । कुछ राज्यों में भर्ती प्रक्रिया संबंधित उच्च न्यायालयों के अधीन हैं जब कि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय इसे राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से करते हैं । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालयों में निहित हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 113
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

कमजोर वर्गों के लिए वहनीय न्याय

113. श्री मस्थान राव बीडा :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि समाज के अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महंगी और जटिल न्यायिक प्रणाली, लागत और इसमें लगने वाले समय के कारण न्याय पाने में असमर्थ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) सरकार द्वारा उपर्युक्त वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित और वहनीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी हां । सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले लाभार्थी भी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य दुर्बलताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो तथा लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समान अवसरों के आधार पर विधिक व्यवस्था का संचालन न्याय के संवर्धन के लिए हो ।

इस प्रयोजन के लिए तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय के स्तर तक विधिक सेवा संस्थाओं का गठन किया गया है । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप/कार्यक्रमों के अंतर्गत विधिक सहायता और परामर्श ; विधिक जागरुकता कार्यक्रम ; विधिक सेवा/सशक्तीकरण कैंप ; विधिक सेवा क्लीनिक ; विधिक साक्षरता क्लब ; लोक अदालतें और पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम का कार्यान्वयन भी है ।

(ग) : न्याय तक त्वरित और समान पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने साधारण नागरिकों को विधिक सहायता तक आसान पहुंच के लिए समर्थ बनाने हेतु एण्डरायड तथा आईओएस वर्जन पर विधिक सेवा मोबाइल एप्प आरंभ की है ।

इसके अतिरिक्त "भारत में न्याय तक पवित्र पहुंच के लिए नवाचार समाधानों का अभिकल्पन" नामक न्याय तक पहुंच पर स्कीम भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई है जिसका लक्ष्य दूरस्थ विधि के माध्यम से मुकद्दमा पूर्व परामर्श और सलाह को मजबूत करना ; न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) के माध्यम से प्रो बोनो विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय व्यवस्था का ढांचा सुनिश्चित करना तथा अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरुकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना है । इस स्कीम के अतंर्गत मध्यक्षेप का समर्थन करने के लिए तथा समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को विधिक सेवाओं तक आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा में संदर्भ आधारित आईईसी (इनफोर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन) सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है । इस स्कीम के अधीन ये सारी सेवाएं सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग तथा समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 114
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना

114. डा. सस्मित पात्रा :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के संबंध में लंबित प्रस्तावों अथवा प्राप्त हुए पत्रों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में वर्ष 2018 के बाद से उच्च न्यायालय की कितनी न्यायपीठें स्थापित की गई है; और
(घ) स्थापित की गई इन पीठों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : उच्च न्यायालय की पीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और डब्ल्यू.पी. (सिविल) सं0 2000 का 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार आवश्यक व्यय और अवसंरचनात्मक सुविधाओं को प्रदान करने का अपना अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिनसे उच्च न्यायालय के प्रशासन की दिन-प्रतिदिन देखरेख करना अपेक्षित है, की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, स्थापित की गई है । प्रस्ताव को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के संबंध में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर, नियत करे ।

अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक न्यायपीठ स्थापित की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद, पूर्वी क्षेत्र में कोलकात्ता और पश्चिमी क्षेत्र में मुम्बई में चार केसेशन न्यायपीठ स्थापित की जाएं ।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भेजा गया था, जिन्होंने सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने, 18 फरवरी, 2010 को हुई अपनी बैठक में मामले पर विचार करने के पश्चात् यह

पाया कि दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों को स्थापित करने का कोई न्यायोचित्य नहीं है ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.) सं0 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13.07.2016 में दिए गए अपने निर्णय द्वारा उपरोक्त मुद्दे को आधिकारिक घोषणा के लिए संवैधानिक न्यायपीठ को संदर्भित करना उचित समझा । मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

वर्तमान में किसी भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ (न्यायपीठों) की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

(ग) से (घ) : वर्ष 2018 से, जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ 07.02.2019 को स्थापित की गई है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 115
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

उत्तर पूर्व क्षेत्रों में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की आवश्यकता

115. श्री पी. विल्सन :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में स्वयं का स्वतंत्र उच्च न्यायालय हों क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय कम जनशक्ति और चार राज्यों के मामलों का निर्णय करने के कारण अधिक संख्या में मुकदमे लंबित होने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और इसके साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भाषा संबंधी अवरोध भी मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । यद्यपि, ऐसे प्रस्तावों के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श की अपेक्षा होती है क्योंकि राज्यों से आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करने और उपबंध करने तथा उच्च न्यायालय की स्थापना करने और चलाने के लिए व्यय को चुकाने की अपेक्षा होती है । ऐसे प्रस्तावों के लिए वर्तमान में क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले संबंधित उच्च न्यायालयों से भी परामर्श करने की आवश्यकता होती है ।

मुख्यमंत्री, नागालैंड ने तारीख 25.06.2021 के पत्र द्वारा तारीख 07.04.2021 को मंत्रिमंडल द्वारा नागालैंड राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के विनिश्चय से सूचित किया । नागालैंड सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने की आवश्यकता है । इस अधिनियम को गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है । तद्नुसार, मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है ।

अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों से पृथक् उच्च न्यायालय के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

हाल ही में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद संख्या को नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश प्रत्येक राज्य से कम से कम 3(तीन) न्यायाधीश के साथ गुवाहाटी उच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान 24 (चौबीस) से बढ़ाकर 30 (तीस) न्यायाधीश कर दिया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 116
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण

116. श्री के. आर. सुरेश रेड्डी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य उच्च न्यायालयों ने अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया है या शुरू करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीधे प्रसारण के लिए मॉडल नियम कब तक बनाए और लागू किए जाएंगे; और

(घ) क्या उपर्युक्त 6 उच्च न्यायालयों में अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में नियम विद्यमान हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): महामारी के दौरान न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था, क्योंकि न्यायालय वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम करते थे और नागरिकों की उस तक सीधी पहुंच नहीं थी । स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत संघ मामले में, उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय कक्ष में अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक कदम उठाते हुए न्यायालय कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की वकालत की है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष ने लाइव स्ट्रीमिंग के मॉडल नियम तैयार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया था । ये नियम तैयार हो गए हैं और भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सभी उच्च न्यायालयों में परिचालित किए गए हैं और ये भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।
अलग- अलग उच्च न्यायालयों में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के नियम और प्रक्रिया, संबंधित उच्च न्यायालय का एक प्रशासनिक मामला है जो उक्त उच्च न्यायालयों के दायरे में आता है और केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । 17.07.2023 तक, गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में न्यायालय

कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, जिससे मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्ति कार्यवाही से जुड़ सकते हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 117
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य

117# श्रीमती कान्ता कर्दम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) पुराने लंबित मामलों के निपटान में अदालतों की सहायता हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में न्याय मित्रों की सेवाएं लेने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और
(ग) उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में सेवा हेतु प्रस्तावित न्याय मित्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्याय मित्र कार्यक्रम अप्रैल 2017 में न्यायालयों में मामलों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था । इसका लक्ष्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में, 10 से 15 वर्ष पुराने मामलें जिनमें सिविल मामलें जैसे वैवाहिक मामलें दुर्घटना दावा मामलें और दांडिक मामलें भी सम्मिलित है, लम्बित मामलो के निपटान को सुकर बनाना है । न्याय मित्र कार्यक्रम आरंभ होने के समय से कुल 39 न्याय मित्र असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के जिला न्यायलयों में नियुक्त किए गए है । उपरोक्त उल्लिखित राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में न्याय मित्र विनियोजित नही किए गए थे । विनियोजित न्याय मित्रों के जिला-वार ब्यौरें उपाबंध (क) पर है । वर्ष 2017-2018 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पांच(5), प्रत्येक में एक, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर जिला न्यायालयों में न्याय मित्र विनियोजित किए गए थे । वर्ष 2019-2020 में इलाहाबाद जिला न्यायालय में एक(1) न्याय मित्र और वर्ष 2021-2022 में दो(2) न्याय मित्र, अप्रैल, 2022 से आगरा और इलाहाबाद जिला न्यायालय, प्रत्येक में एक न्याय मित्र विनियोजित किए गए थे । पिछले कुछ वर्षों में स्कीम की प्रगति का यथोचित अवलोकन करने और कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि चुकि योजना 10 या उससे ज्यादा पुराने मामलों के निपटान के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 से इस स्कीम को जारी नही रखा जाएगा । अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष (वि.व. 2023-2024) के दौरान उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों के लिए न्याय मित्र को विनियोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****

उपाबंध-'क'

न्याय मित्र स्कीम पर संसद सदस्य श्रीमती कान्ता कर्दम द्वारा पुछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 117 के संबंध में, जिसका उत्तर तारीख 20.07.2023 को दिया जाना है, भाग (ख) और (ग) के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण											
(2017-2022) से विनियोजित न्याय मित्रों की अंतर्विष्ट संख्या के राज्य वार विवरण											
क्र. सं.	**राज्य**	**वर्ष 2017-2018**		**वर्ष 2018-2019**		**वर्ष 2019-2020**		**वर्ष 2020-2021**	**वर्ष 2021-2023**		**कुल**
		जिला	**न्याय मित्र की संख्या**	**जिला**	**न्याय मित्र की संख्या**	**जिला**	**न्याय मित्र की संख्या**		**जिला**	**न्याय मित्र की संख्या**	
1	**असम**		**-**		**-**		**-**	**शुन्य***	चाचर	1	**2**
									कामरूप मैट्रो	1	
2	**बिहार**	पटना	1		-		-			-	**1**
3	**महाराष्ट्र**		-		-	औरंगाबाद	1		नागपुर	1	**4**
						मुम्बई सिविल कोर्ट	1				
						नागपुर	1				
4	**ओडिशा**		-		-	पुरी	1		कटक	1	**4**
						गंजम	1		खुर्दा	1	
5	**राजस्थान**	जालोर	1	भीलवाड़ा	1	जोधपुर	1		कोटा	1	**11**
		अलवर	1	अलवर	1						
		गंगानगर	1	गंगानगर	1	जयपुर मैट्रो	1		जयपुर मैट्रो	1	
		भीलवाड़ा	1								
6	**त्रिपुरा**	पश्चिमी त्रिपुरा	1		-		-			-	**1**
7	**उत्तर प्रदेश**	**गाजियाबाद**	1		-	**इलाहाबाद**	**1**		**आगरा**	**1**	**8**
		मेरठ	1								
		वाराणसी	1						**इलाहाबाद**	**1**	
		गोरखपुर	1								
		कुशीनगर	1								
8	**पश्चिमी बंगाल**	हावड़ा	1		1	वर्दमान	1		कलकत्ता	1	**8**
		24 दक्षिणी परगना	1						उत्तरी 24 फरगना	1	
		बीरभूम	1								
		कूचबिहार	1								
		कुल	**15**	**कुल**	**4**	**कुल**	**9**		**कुल**	**11**	**39**

*कोई न्याय मित्र न्यायालयों के बंद होने और कोविड महामारी द्वारा कारित सामाजिक दूरी प्रोटोकाल के कारण वर्ष 2020-2021 के दौरान विनियोजित नहीं हो सका ।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 119
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामले और अत्यधिक बोझ

119. श्री तिरुची शिवा :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों सहित न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बड़ी संख्या में मामलों के लंबित रहने में योगदान देने वाले कारकों जैसे न्यायिक पदों की रिक्ति, प्रक्रियात्मक देरी, मामलों का बैकलॉग और अन्य प्रणालीगत मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में न्यायिक बुनियादी ढांचे और क्षमता को सशक्त करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्रीय और राज्य न्यायपालिकाओं के बीच बेहतर परिपाटियों को साझा करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई समन्वय तंत्र मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एकीकृत वाद प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त डाटा के अनुसार, आज तारीख 01.07.2023 तक, उच्चतम न्यायालय में 69,766 मामले लंबित हैं । आज तारीख 14.07.2023 तक उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार क्रमशः 60,62,953 और 4,41,35,357 हैं ।

(ख) : न्यायालयों में मामलों का लंबायमान कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की अनुपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादकारियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । अन्य कारक हैं जो कि मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हें इनमें मामलों के विभिन्न प्रकारों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और बहु

मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं । तथापि न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है । सरकार की न्यायालयों में मामलों के निपटान की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया है कि दांडिक न्याय प्रणाली विभिन्न अभिकरणों जैसे पुलिस अभियोजन, न्याय संबंधी प्रयोगशाला, हस्तलिपि विशेषज्ञ और चिकित्सा विधिक विशेषज्ञों की सहायता पर कार्य करती है । सहबद्ध अभिकरणों द्वारा सहायता प्रदान करने में देरी से भी मामलों के निपटान में देरी होती है ।

(ग) : केन्द्रीय सरकार न्यायिक अवसंरचना और क्षमता के संवर्धन द्वारा न्याय परिदान को मजबूत करने के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है । न्यायिक अवसंरचना के लिए केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम के अधीन न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हॉल, आवासीय क्वार्टर, अधिवक्ताओं और वादकारियों जिनके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता मिलती है, के जीवन को आसान बनाने हेतु जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों की अवसरंचना के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉल की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़ाकर 30.06.2023 को 21,365 और आवासीय ईकाइयों की संख्या 30.6.2014 को 10,211 से बढ़ाकर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है ।

केन्द्रीय सरकार नियमित रुप से उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पदसंख्या और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत पदसंख्या**	**कार्यरत पदसंख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
14.07.2023	25,246	19,858

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिकों में न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है ।

जहां तक सहायक कर्मचारियों में वृद्धि का संबंध है, यह मामला संबंधित राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है । केन्द्रीय सरकार की इसमें भी कोई भूमिका नहीं है ।

(घ) और (ड.): राज्य न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एससीएमएससी) पारस्परिक रुप से अर्ध-वार्षिक आधार पर राज्य न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति की सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को और उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) के साथ साझा करती है । इसमें एससीएमएस समिति की आधार रेखा रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विजन स्टेटमेंट के अधीन कार्यवाही का कार्यान्वयन सम्मिलित है । ऐसी समीक्षाएं एससीएमएस समिति द्वारा अन्य सभी एससीएमएस समितियों के साथ और एससीएमएस समिति के साथ भी साझा की जाती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 120
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संबंध में आईजेआर रिपोर्ट

120. श्रीमती जेबी माथेर हीशम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत न्याय रिपोर्ट (आईजेआर) 2022, जिसमें यह कहा गया है कि दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय 1,108 की संस्वीकृत संख्या के मुकाबले केवल 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों को समय पर भरने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रिपोर्ट में कहा गया है कि अधीनस्थ अदालतें 24,631 की संस्वीकृत क्षमता के मुकाबले 19,288 न्यायाधीशों के साथ काम कर रही थीं, यदि हां, तो क्या सरकार ने देश भर में अधीनस्थ अदालतों में रिक्तियों को भरने के लिए उपाय किए हैं; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु समान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार रिक्तियों के होने के छः महीने पहले उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव के आरंभ हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की जाती है । सरकार केवल उन व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जो उच्चतम न्यायालय के कालेजियम द्वारा सिफारिश किए जाते हैं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 01.01.2021 से आज तारीख तक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 349 न्यायाधीश नियुक्त किए गए है । 14.07.2023 को यथा विद्यमान 1114 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले उच्च न्यायालयों में 779 न्यायाधीश कार्यरत है तथा 335 रिक्तियां है । इन 335 रिक्तियों के मुकाबले 136 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कालेजियम के बीच विभिन्न प्रक्रमों पर प्रक्रियागत है । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों में 199 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कालेजियमों से सिफारिशें अभी प्राप्त होना शेष है, जो उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का लगभग 59 प्रतिशत है । उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निरंतर, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर

विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । जब कि त्वरित ढंग से विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पद-त्याग या न्यायाधीशों के उन्नयन तथा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी होती रहती हैं ।

(ख) : इस विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 11.07.2023 को यथाविद्यमान जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में 25,245 स्वीकृत संख्या के मुकाबले 19870 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं और न्यायिक अधिकारियों के 5375 पद रिक्त हैं । अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरने का जहां तक संबंध है, केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । संवैधानिक ढांचे के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मुद्दों के संबंध में नियमों और विनियमों को विरचित करती है । अतः जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालय इसे करते है, जब कि कुछ अन्य राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से उच्च न्यायालय इसे करते है । इसलिए केन्द्रीय सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति में सम्मिलित नहीं है ।

(ग) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, जो आरंभ में 60 वर्ष नियत की गई थी, मुख्यतः भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि पर भरोसा करते हुए दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 01.12.1962 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के अनुसरण में संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा 05.10.1963 से पुनरीक्षित करके 62 वर्ष कर दी गई ।

संविधान (114वां संशोधन) विधेयक, 2010 में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए पुरःस्थापित किया गया था । तथापि, इस पर संसद् में विचार नहीं किया गया और पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया । वर्तमान में, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 122
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति

122. डा. अमी याज्ञिक :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं का उनके चयन मानदंडों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिए निचली अदालत के न्यायाधीशों की तरह कोई प्रतिस्पर्धी परीक्षा नहीं होती है, यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिस्पर्धी परीक्षा आयोजित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की योजना बना रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिला न्यायालय से पदोन्नत किए गए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 224 के अधीन और 28 अक्टूबर, 1998 (तीन न्यायाधीशों का मामला) उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के उच्चतम न्यायालय निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

चयन मापदंड जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(3) में निहित है, के अनुसार कोई व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो और (क) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा है ; या (ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है ; या (ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और (क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण

कर चूका है ; या (ख) किसी उच्च न्यायालय या दो या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों की संख्या उपाबंध के रूप में संलग्न हैं ।

****

उपाबंध

पिछले पांच वर्ष (01.01.2019 से 17.07.2023 तक) के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों की संख्या को दिखाने वाला विवरण

	उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय	अधिवक्ता	सेवारत	कुल
क.	**उच्चतम न्यायालय**	**33**	**-**	**33**
ख.	**उच्च न्यायालय**			
1	इलाहाबाद	29	24	53
2	आंध्र प्रदेश	14	13	27
3	बंबई	22	22	44
4	कलकत्ता	09	22	31
5	छत्तीसगढ़	03	04	07
6	दिल्ली	13	13	26
7	गुवहाटी	06	08	14
8	गुजरात	12	12	24
9	हिमाचल प्रदेश	03	02	05
10	जम्मु-कश्मीर और लद्दाख	05	06	11
11	झारखंड	02	05	07
12	कर्नाटक	21	15	36
13	केरल	11	09	20
14	मध्य प्रदेश	07	16	23
15	मद्रास	14	17	31
16	मणिपुर	01	01	02
17	मेघालय	01	-	01
18	उड़ीसा	09	04	13
19	पटना	12	09	21
20	पंजाब और हरियाणा	24	15	39
21	राजस्थान	10	18	28
22	सिक्किम	-	-	-
23	तेलंगाना	09	18	27
24	त्रिपुरा	-	01	01
25	उत्तराखंड	02	02	04
	कुल	**239**	**256**	**495**

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 123
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिक्तियां

123. श्री नारायण कोरागप्पा :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है:

(ख) उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) न्यायाधीशों के उपर्युक्त पद भरे जाने और इस खंडपीठ में न्यायाधीशों की संख्या पूरी होने की संभावना कब तक है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : तारीख 14.07.2023 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय में 62 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से 91 न्यायाधीश कार्यरत हैं जिसमें से 11 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं । वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 03 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें उच्च न्यायालय में शेष 08 रिक्ति के संबंध में ग्रहण की जानी है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से रिक्तियों के होने से छह माह पूर्व बार और संबंधित राज्य न्यायिक सेवा से अर्हक सदस्यों में से दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से प्रस्तावों का प्रारंभ किया जाना अपेक्षित है । रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक, सतत्, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है । विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । जब कि प्रत्येक प्रयास शीघ्रता से विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए किया गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या न्यायाधीशों के उन्नयन के कारण हो रही हैं और न्यायाधीशों की पद संख्या में से वृद्धि भी एक कारण है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 124
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय में बेंच वार लंबित मामले

124. श्री संदीप कुमार पाठक :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बेंचवार कुल कितने मामले लम्बित हैं, उनमें से 5, 10, 20 , 30, 40, 50 या 50 वर्ष से अधिक पुराने कितने मामले हैं;

(ख) गत 5 वर्षों में वर्षवार सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने मामले आए, इस अवधि में कितने मामले का निष्पादन हुआ, तत्संबंधी वर्ष-वार तथा बेंच वार संख्या क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु गत पांच वर्षों में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) में बेंच-वार लंबित मामलों का डेटा नहीं रखा जाता है। हालाँकि, 14.07.2023 तक, भारत के उच्चतम न्यायालय में 5, 10, 20, 30, 50 या 50 वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि आईसीएमआईएस से प्राप्त और प्राप्त किया गया है, इस प्रकार है: -

क्र.सं.	मानदंड	14.07.2023 तक लंबित मामलें
•	5 वर्ष से अधिक पुराने मामले लंबित	24,426
•	10 वर्ष से अधिक पुराने मामले लंबित	8,376
•	20 वर्ष से अधिक पुराने मामले लंबित	204

•	गोपनीय	20
•	30 वर्ष से अधिक पुराने मामले लंबित	2
•	40 वर्ष से अधिक पुराने मामले लंबित	0

(ख): पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 15.07.2023 तक भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर और निपटाए गए मामलों की संख्या, जैसा कि 15.07.2023 तक एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से बनाए रखा और पुनर्प्राप्त किया गया है, है निम्नानुसार:-

वर्ष	वर्ष के दौरान दर्ज किये गये मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या
2018	48,282	37,470
2019	46,873	41,100
2020	29,081	20,670
2021	32,655	24,586
2022	42,745	36,436
2023 (15.07.2023 तक)	27,998	25,959

भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार, पीठ-वार मामलों से संबंधित जानकारी उनकी रजिस्ट्री में नहीं रखी जाती है।

(ग): न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के क्षेत्र में है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मुकदमों के निपटारे में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती. न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय के कर्मचारी और भौतिक बुनियादी ढांचे, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों अर्थात् बार, जांच एजेंसियां, गवाह और वादी का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल है। मामलों के निपटारे में देरी का कारण बनने वाले अन्य कारकों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और समूह बनाने की पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है। केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

न्याय वितरण और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में सिस्टम में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के अलावा,

कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की ताकत में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, मामलों के त्वरित निपटान के लिए अदालती प्रक्रिया की पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर जोर, शामिल है।, ।

i. न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कमरे के निर्माण के लिए धन जारी किया जा रहा है, जिससे वकीलों और वादकारियों का जीवन आसान हो जाएगा, इस प्रकार न्याय परिदान में सहायता करेगा। आज तक, न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1993-94 में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10035 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना के अधीन न्यायालय हॉल की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है।

ii. इसके अलावा ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वॉन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्षम की गई है। वकीलों और वादियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/केस से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं में सहायता की सुविधा के लिए न्यायालय परिसरों में 815 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंमें 22 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया है और 408 करोड़ से अधिक जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसमें सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ब्लॉक चेन को शामिल करने का इरादा है।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है। 01.05.2014 से 10.07.2023 तक सुप्रीम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 653 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यशील संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यशील संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
14.07.2023	25,246	19,858

हालाँकि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियाँ गठित की गई हैं।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों के मामलों; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की है। 31.05.2023 तक, 832 फास्ट ट्रैक न्यायालय जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों आदि के लिए कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों / विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, दस (10) विशेष न्यायालय, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने आईपीसी के अधीन बलात्कार के लंबित मामलों और पोस्कों अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। आज तक, 28 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

vi. लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों में रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और आपराधिक विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसे विभिन्न कानूनों में संशोधन किया है। ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, 20 अगस्त, 2018 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में प्री-इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया है। समय-सीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

viii. लोक न्यायालय आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमे-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को सिविल न्यायालय का डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। लोक न्यायालय कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व-निर्धारित तिथि पर एक साथ आयोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निस्तारित मामलों का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	मुकदमा-पूर्व मामलें	लंबित मामलें	कुल योग

2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023 (17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	6,82,32,800	2,26,81,224	9,09,14,024

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जिसने ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार विवरण

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले	प्रतिशत वार ब्रेकअप	सलाह दी गई	प्रतिशत वार ब्रेकअप
लिंग वार				
स्त्री	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरूष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति प्रवर्ग वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
अपिव	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
अजा	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
अजजा	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	45,81,912		44,66,376	

x. देश में प्रो-बोनो संस्कृति और प्रो-बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां स्वयंसेवक निःशुल्क कार्य के लिए अपना समय और सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। उभरते वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति स्थापित करने के लिए 69 चुनिंदा लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 125
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां

125. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संस्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) आज की तारीख में उच्च न्यायालय में कितनी रिक्तियां विद्यमान हैं;

(ग) उच्च न्यायालय में रिक्तियों के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : तारीख 24.07.2023 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 37 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से 28 न्यायाधीश कार्यरत हैं जिसमें से 9 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं । वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 8 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें उच्च न्यायालय में शेष 1 रिक्ति के संबंध में ग्रहण की जानी है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान ज्ञापन प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से रिक्तियां होने से छह माह पूर्व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव आरंभ किया जाना अपेक्षित है ।

उच्च न्यायालय में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है । विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की जाती है । जब कि प्रत्येक प्रयास शीघ्रता से विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए किया गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या न्यायाधीशों के उन्नयन के कारण हो रही हैं और न्यायाधीशों की पद संख्या में से वृद्धि भी एक कारण है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 126
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की नियुक्ति

126. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में आने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए, जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों मे न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, सरकार केवल ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगी जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई है ।
(ख) : वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व का उपबंध करने के लिए संविधान में संशोधन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नही है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *86
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

ई-फाइलिंग सेंटर की स्थापना

***86. डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी :**

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिए ई-फाइलिंग केन्द्रों की स्थापना करने और सस्ते और सुलभ न्याय के सर्वोच्च सिद्धांत के आलोक में एवं वादियों के हित में वर्चुअल पद्धति से न्यायिक कार्यवाही करने के संबंध में 30 नवंबर, 2022 को कोई पत्र लिखा गया था; और

(ख) क्या मुख्य न्यायाधीशों की ओर से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो यह सकारात्मक है या नकारात्मक, यदि नकारात्मक है, तो सरकार वर्चुअल पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी द्वारा पूछे गए "ई-फाइलिंग केंद्रों की स्थापना" से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 86, जिसका उत्तर 27.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : ई-फाइलिंग की सुविधा के माध्यम से वर्चुअल बेंच के निर्माण और उच्च न्यायालय की अतिरिक्त बेंच की स्थापना के बदले मामलों की वर्चुअल सुनवाई को सक्षम करने के संबंध में माननीय विधि और न्याय मंत्री, श्री किरेन रीजीजू द्वारा सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों

को तारीख 09.03.2023 को एक पत्र संबोधित किया गया था । हालाँकि, न्याय विभाग द्वारा तारीख 30.11.2022 को कोई संसूचना नहीं भेजी गई थी ।

जहां राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और भूभाग कठिन है, वहां उच्च न्यायालयों की अतिरिक्त पीठों की स्थापना भी राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांग है । उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों की स्थापना के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसमें लंबी अवधि सम्मिलित होती है । हालाँकि, राज्य के विभिन्न जिलों में ई-फाइलिंग की सुविधा के माध्यम से वर्चुअल बेंच के सृजन और जिले से मामलों की वर्चुअल सुनवाई को सक्षम करने से उच्च न्यायालय की अतिरिक्त बेंच की स्थापना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि, कोविड महामारी की अवधि के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई आम आदमी को बचाने हेतु आई, क्योंकि सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय कार्यवाही संभव नहीं थी । यह ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट था जिसने पहले से ही आवश्यक कंप्यूटर और वीसी लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ कनेक्टिविटी भी स्थापित कर दी थी, जिसने कोविड महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल सुनवाई के तेजी से संचालन को सक्षम बनाया । इसके अतिरिक्त, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के अधीन, ई-फाइलिंग के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में काम करने के लिए न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र, वर्चुअल सुनवाई/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ई-सुविधाएं उन आम नागरिकों को नि:शुल्क प्रदान की गई हैं जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है । इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय (कटक) ने जिला न्यायालयों में उच्च न्यायालय की 20 वर्चुअल बेंचों की स्थापना की है, जिससे अधिवक्ताओं/पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से वर्चुअल उच्च न्यायालय केंद्रों के माध्यम से उपस्थित होने और उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों का संचालन करने की सुविधा मिलती है । इसके लिए दिशानिर्देश उड़ीसा उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

(ख): कर्नाटक, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और सिक्किम के उच्च न्यायालयों से तारीख 09.03.2023 के पत्र के संबंध में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने वर्चुअल तरीकों के माध्यम से सस्ते और सुलभ न्याय को बढ़ावा देने के लिए ई-कोर्ट परियोजना के अधीन प्रदान की गई सुविधाओं के उपयोग के निर्णय का समर्थन किया है । उच्च न्यायालयों की वर्चुअल बेंच स्थापित करने का निर्णय संबंधित उच्च न्यायालयों का एक प्रशासनिक मामला है और केंद्रीय सरकार इस मामले में प्रत्यक्षत: सम्मिलित नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, न्याय वितरण की वर्चुअल पद्धति को सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा ई-कोर्ट प्रोजेक्ट चरण II के अधीन निम्नलिखित ई-पहल आरंभ की गई हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रोजेक्ट के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादी 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (03.07.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण

3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है ।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है । यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे । हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए), बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30 जून 2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30 जून,2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं ।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई, जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की थी । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाईयां की थी । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं। 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है । वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं ।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, तथा इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है ।

viii. यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं । 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 39 लाख (39,16,405) से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है। 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई है ।

ix. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है । ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है । 30.06.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं । कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है । 30.06.2022 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, उन वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है । यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं । यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है । इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा ।

xii. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

xiii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है । इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है ।

xiv. न्यायपीठ द्वारा खोज, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरंभ किया गया है । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।

भारत सरकार ने संघीय बजट 2023-2024 में ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7000 करोड़ रुपये की घोषणा की है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर, व्यय वित्त समिति ने तारीख 23.02.2023 को हुई अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण III की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, 21.06.2023 को हुई बैठक में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ने भी अनुमोदन के लिए ई-न्यायालय चरण III की सिफारिश की है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 898
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

चरण-3 के अंतर्गत क्रियाशील ई-न्यायालय

898. श्री आर. धरमार :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कितने ई न्यायालय क्रियाशील है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु के साथ-साथ देश भर में पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी निधि संस्वीकृत और आवंटित की गई और कितनी निधि का उपयोग किया गया;
(ग) अब तक निर्धारित लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या सरकार देश के भीतर इस परियोजना का चरण-3 शुरू करने की योजना बना रही है;
(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए संस्वीकृत होने वाली संभावित निधि का ब्यौरा क्या है; और
(च) इस चरण-3 के अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले संभावित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। ई-न्यायालय परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है । परियोजना का चरण-I, वर्ष 2011-2015 के बीच लागू किया गया था। परियोजना का चरण-II, वर्ष 2015-23 तक बढ़ाया गया । सरकार ने सभी के लिए न्याय को सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-पहल की हैं:-
i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रोजेक्ट के अधीन , पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।
ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के

सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादी 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (03.07.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है । वर्तमान में सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है ।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है । यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे । हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए),) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त , वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30 जून 2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30 जून 2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं ।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई , जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं । 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है । वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं ।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, और इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है ।

viii. यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं । 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 39 लाख (39,16,405) से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है। 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई है ।

ix. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है । ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है

और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है । 30.06.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं । कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है । 30.06.2022 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है । यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं । यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है । इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा ।

xii. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

xiii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है । इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है ।

xiv. बेंच द्वारा खोज, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरंभ किया गया है । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।

देश भर में क्रियाशील ई-न्यायालयों के विस्तृत ब्यौरे उपाबंध-। पर दिए गए हैं । ई-न्यायालयों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु देश भर में, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु भी है, पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई निधियां उपाबंध-2 पर दी गई हैं ।

(घ) से (च) : भारत सरकार ने संघीय बजट 2023-2024 में ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7000 करोड़ रुपये की घोषणा की । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर, व्यय वित्त समिति ने तारीख 3.02.2023 को हुई अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण ।।। की सिफारिश की है । इसके अतिरिक्त, 21.06.2023 को हुई बैठक में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ने भी अनुमोदन के लिए ई-न्यायालय चरण ।।। की सिफारिश की है ।

*****

उपाबंध-1

क्रियाशील ई-न्यायालयों से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 898, जिसका उत्तर 27/07/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। देश में कार्यरत ई न्यायालयों के ब्यौरे निम्न हैं :

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बंबई	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुडुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	उड़ीसा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	योग		**3452**	**18735**

उपाबंध-2

संरचनात्मक विकास हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 898, जिसका उत्तर 27/07/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण :

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	2019-2020		2020-21		2021-22	
		जारी की गई (करोड.)	उपयोग की गई (करोड.)	जारी की गई (करोड.)	उपयोग की गई (करोड.)	जारी की गई (करोड.)	उपयोग की गई (करोड.)
1	इलाहाबाद	15.04	13.63	13.79	10.22	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
3	बंबई	0.00	0.00	8.86	8.86	0.00	0.00
4	कलकत्ता	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	4.44	4.44	2.34	2.34	0.00	0.00
6	दिल्ली	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00
7	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	0.98	0.98	1.52	1.52	1.26	1.18
8	गुवाहाटी (असम)	13.68	13.40	6.11	1.78	3.49	3.46
9	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.51	0.43	0.72	0.69	0.30	0.25
10	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.70	0.70	0.83	0.83	0.84	0.84
11	गुजरात*	0.00	0.00	3.48	0.83	0.00	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.00	1.78	0.00	0.00
13	जम्मू -कश्मीर और लद्दाख	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	झारखंड	5.53	0.35	2.98	0.48	0.00	0.00
15	कर्नाटक	9.15	9.15	4.29	4.29	0.00	0.00
16	केरल	0.00	0.00	2.83	2.83	1.58	1.58
17	मध्य प्रदेश	11.21	11.06	6.28	6.21	0.00	0.00
18	मद्रास	0.00	0.00	4.73	2.46	0.00	0.00
19	मणिपुर	0.61	0.60	1.30	1.28	0.76	0.75
20	मेघालय	0.92	0.09	2.32	0.51	2.23	0.85
21	उड़ीसा	13.46	13.09	3.37	3.31	0.00	0.00
22	पटना	7.08	6.40	5.44	5.30	0.00	0.00
23	पंजाब और हरियाणा	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00
24	राजस्थान	1.29	1.29	10.58	10.57	1.62	1.62
25	सिक्किम	1.61	0.68	1.01	0.92	0.77	0.00
26	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	तेलंगाना	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
27	त्रिपुरा	2.24	2.19	4.44	4.05	0.96	0.78
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	1.28	0.12	0.00	0.00
योग		**88.44**	**78.50**	**107.74**	**80.57**	**13.80**	**11.31**

* गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किए । कुल उपयोग की गई में अभ्यर्पित निधियां सम्मिलित हैं ।

** तत्कालीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा निधियां जारी की गई, और दोनों राज्यों ने उपलब्ध निधियों को क्रमशः, 58:42 के अनुपात में साझा किया ।

टिप्पण: वर्ष 2022-2023 के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई थी, चरण II के कुल परिव्यय की रकम 1670 करोड़ रुपये ख़त्म हो चुके हैं ।

****

5

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 899
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की संख्या

899. श्री नरहरी अमीन :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में मुकदमों के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या का अनुपात क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या औसत से कम है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा न्यायालयों में न्यायधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) गुजरात राज्य में जिला न्यायालयों और राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या तथा संबंधित न्यायालयों में क्रमशः लंबित मुकदमों के बीच का अनुपात क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश में न्यायाधीशों की संख्या और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के बीच अनुपात की गणना आगे दिए नुसार की जाती है:--

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या***	लंबित मामलों की संख्या	अनुपात
1.	उच्चतम न्यायालय	34	69,766**	1:2052
2.	उच्च न्यायालय	1,114	60,64,939*	1:5444
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	25,246	4,42,63,161*	1:1753

*स्रोत 21.07.2023 तक एनजेडीजी **स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय ***स्रोत: एमआईएस पोर्टल न्याय विभाग

(ख) : इप्सित रीति में सूचना नहीं रखी जाती है । यद्यपि, इस समय स्वीकृत संख्या के मुकाबले न्यायालयों में कार्यशील न्यायाधीशों की संख्या नीचे दिए नुसार है:--

क्र.सं..	न्यायालय का नाम	न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
1.	उच्चतम न्यायालय	34	32
2.	उच्च न्यायालय	1,114	775
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	25,246	19,858

स्रोत: एमआईएस पोर्टल, न्याय विभाग

(ग) : उच्चतम न्यायालय की दशा में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन भारत के उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत संख्या को 30 से बढाकर 33 करने के लिए (भारत का मुख्य न्यायमूर्ति को छोडकर) किया गया था । उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 तारीख 09.08.2019 को प्रवृत्त हुआ ।

उच्च न्यायालयों के लिए तारीख 01.07.2014 से तारीख 19.07.2023 तक की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 208 नए पदों का सृजन किया गया था, जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 906 से बढकर 1114 कर दी गई ।

यद्यपि, जिला और अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका की दशा में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आती है ।

(घ) : गुजरात राज्य में जिला न्यायालयों और राज्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की विद्यमान संख्या और संबंधित न्यायालयों के पास लंबित मामलों की संख्या में अनुपात नीचे दिए नुसार है:--

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	* न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या	** लंबित मामलों की संख्या	अनुपात
2.	गुजरात उच्च न्यायालय	52	1,65,332	1:3179
3.	गुजरात जिला और अधीनस्थ न्यायालय	1582	16,95,638	1:1072

स्रोत: एमआईएस पोर्टल न्याय विभाग **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रीड

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 901
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

दीवानी और आपराधिक मामलों का लंबित होना

901. श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई, 2023 तक देश में निचली अदालतों के स्तर पर लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) 15 जुलाई, 2022 तक देश में निचली अदालतों के स्तर पर लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य-वार लंबित आपराधिक और दीवानी मामलों में हुई वृद्धि/कमी का ब्यौरा क्या है; और
(घ) लंबित मामलों को कम करने के लिए अगस्त 2011 में स्थापित राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन के क्या नतीजे रहे?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई, 2023 तक देश में निचली न्यायपालिका के स्तर पर लंबित सिविल और आपराधिक मामलों का राज्य-वार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है ।
(ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई, 2022 तक देश में निचली न्यायपालिका के स्तर पर लंबित सिविल और आपराधिक मामलों का राज्य-वार विवरण **उपाबंध 2** में दिया गया है ।

(ग) : पिछले एक वर्ष के दौरान अर्थात 15 जुलाई, 2022 से 15 जुलाई, 2023 के बीच राज्य-वार लंबित आपराधिक और सिविल मामलों में वृद्धि/कमी का विवरण **उपाबंध 3** में दिया गया है ।
(घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । न्यायालयों में मुकदमों के निपटारे में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय के कर्मचारी और भौतिक बुनियादी ढांचे, सम्मिलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की

प्रकृति, हितधारकों अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और वादी और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग का सहयोग शामिल है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटान में देरी हो सकती है । इनमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और समूह बनाने की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित है ।

केंद्रीय सरकार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने कई पहल की हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

i. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10035 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है।

ii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 815 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 18 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 408 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को सम्मिलित करने का आशय रखता है।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
21.07.2023	25,246	19858

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है। 31.05.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 832त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है।

vi. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है । तद्नुसार, तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और

बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं

पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**पूर्व-मुकदमेबाजी मामले**	**लंबित मामले**	**सकल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023 (17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	6,82,32,800	2,26,81,224	9,09,14,024

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

<u>*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा</u>

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	45,81,912		44,66,376	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

****

उपाबंध – 1

सिविल और आपराधिक मामलों की लंबितता संबंधी राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 901 जिसका उत्तर 27/07/2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

15 जुलाई, 2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में राज्यवार लंबित मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिविल	आपराधिक	कुल
1	उत्तर प्रदेश	1866208	9743124	11609332
2	महाराष्ट्र	1621800	3485391	5107191
3	बिहार	524503	2976426	3500929
4	पश्चिमी बंगाल	622950	2280565	2903515
5	राजस्थान	559968	1711614	2271582
6	मध्य प्रदेश	401707	1608776	2010483
7	कर्नाटक	935416	983568	1918984
8	केरल	524817	1359356	1884173
9	गुजरात	408316	1282803	1691119
10	हरियाणा	458943	1073130	1532073
11	ओडिशा	281448	1244509	1525957
12	तमिलनाडु	754659	720413	1475072
13	दिल्ली	241850	985641	1227491
14	पंजाब	399389	517128	916517
15	तेलंगाना	344082	563284	907366
16	आंध्र प्रदेश	417212	431802	849014
17	हिमाचल प्रदेश	163650	373794	537444
18	झारखंड	88800	435967	524767
19	असम	100893	365427	466320
20	छत्तीसगढ	79026	329924	408950
21	उत्तराखंड	45233	290164	335397
22	जम्मू और कश्मीर	100433	216256	316689
23	चंडीगढ़	23257	59160	82417
24	गोवा	26060	30658	56718
25	त्रिपुरा	11683	33866	45549
26	पुदुचेरी	13496	20599	34095
27	मेघालय	4458	11477	15935
28	मणिपुर	8208	4371	12579
29	अंदमान और निकोबार	3476	5292	8768
30	मिजोरम	2539	3275	5814
31	सिलवासा में दा.और ना.ह.	1958	2098	4056
32	नागालैंड	627	2713	3340
33	दीव और दमण	1445	1620	3065
34	सिक्किम	644	1177	1821
35	अरुणाचल प्रदेश	403	984	1387
36	लद्दाख	627	579	1206
कुल		**1,10,40,184**	**3,31,56,931**	**4,41,97,115**

<u>उपाबंध – 2</u>

<u>सिविल और आपराधिक मामलों की लंबितता संबंधी राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 901 जिसका उत्तर 27/07/2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

15 जुलाई, 2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में राज्यवार लंबित मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिविल	आपराधिक	कुल
1	उत्तर प्रदेश	1906811	8652719	10559530
2	महाराष्ट्र	1557984	3431022	4989006
3	बिहार	502186	2963593	3465779
4	पश्चिमी बंगाल	614712	2097443	2712155
5	राजस्थान	548539	1595764	2144303
6	मध्य प्रदेश	402147	1562605	1964752
7	केरल	529501	1456561	1986062
8	कर्नाटक	906282	988407	1894689
9	ओडिशा	294560	1248295	1542855
10	गुजरात	455953	1412869	1868822
11	हरियाणा	455430	940324	1395754
12	तमिलनाडु	810432	645419	1455851
13	दिल्ली	257457	918485	1175942
14	तेलंगाना	340444	516346	856790
15	पंजाब	417916	549096	967012
16	आंध्र प्रदेश	419468	377213	796681
17	झारखंड	94412	431572	525984
18	हिमाचल प्रदेश	159623	324347	483970
19	असम	91505	370922	462427
20	छत्तीसगढ	75162	326326	401488
21	उत्तराखंड	46666	288594	335260
22	जम्मू और कश्मीर	97546	177302	274848
23	चंडीगढ़	24030	52660	76690
24	गोवा	26071	32354	58425
25	त्रिपुरा	11379	28807	40186
26	पुदुचेरी	14440	20392	34832
27	मेघालय	4552	12418	16970
28	मणिपुर	8011	4168	12179
29	अंदमान और निकोबार	3279	4971	8250
30	मिजोरम	2451	3446	5897
31	सिलवासा में दा.और ना.ह.	1879	1909	3788
32	नागालैंड	497	2644	3141
33	दीव और दमण	1421	1466	2887
34	अरुणाचल प्रदेश	244	787	1031
35	सिक्किम	720	1171	1891
36	लद्दाख	579	469	1048
कुल		**1,10,84,289**	**3,14,42,886**	**4,25,27,175**

उपाबंध – 3

सिविल और आपराधिक मामलों की लंबितता संबंधी राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 901 जिसका उत्तर 27/07/2023 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

निचली न्यायपालिका में 2022-2023 के दौरान आपराधिक और नागरिक मामलों की लंबितता में वृद्धि/कमी का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं रा. क्षे.	सिविल			आपराधिक			कुल		
		15.07.2022	15.07.2023	वृद्धि / कमी करना	15.07.2022	15.07.2023	वृद्धि / कमी करना	15.07.2022	15.07.2023	वृद्धि / कमी करना
1	उत्तर प्रदेश	1906811	1866208	-40603	8652719	9743124	1090405	10559530	11609332	1049802
2	महाराष्ट्र	1557984	1621800	63816	3431022	3485391	54369	4989006	5107191	118185
3	बिहार	502186	524503	22317	2963593	2976426	12833	3465779	3500929	35150
4	पश्चिमी बंगाल	614712	622950	8238	2097443	2280565	183122	2712155	2903515	191360
5	राजस्थान	548539	559968	11429	1595764	1711614	115850	2144303	2271582	127279
6	मध्य प्रदेश	402147	401707	-440	1562605	1608776	46171	1964752	2010483	45731
7	कर्नाटक	529501	935416	405915	1456561	983568	-472993	1986062	1918984	-67078
8	केरल	906282	524817	-381465	988407	1359356	370949	1894689	1884173	-10516
9	गुजरात	294560	408316	113756	1248295	1282803	34508	1542855	1691119	148264
10	हरियाणा	455953	458943	2990	1412869	1073130	-339739	1868822	1532073	-336749
11	ओडिशा	455430	281448	-173982	940324	1244509	304185	1395754	1525957	130203
12	तमिलनाडु	810432	754659	-55773	645419	720413	74994	1455851	1475072	19221
13	दिल्ली	257457	241850	-15607	918485	985641	67156	1175942	1227491	51549
14	पंजाब	340444	399389	58945	516346	517128	782	856790	916517	59727
15	तेलंगाना	417916	344082	-73834	549096	563284	14188	967012	907366	-59646
16	आंध्र प्रदेश	419468	417212	-2256	377213	431802	54589	796681	849014	52333
17	हिमाचल प्रदेश	94412	163650	69238	431572	373794	-57778	525984	537444	11460
18	झारखंड	159623	88800	-70823	324347	435967	111620	483970	524767	40797
19	असम	91505	100893	9388	370922	365427	-5495	462427	466320	3893
20	छत्तीसगढ	75162	79026	3864	326326	329924	3598	401488	408950	7462
21	उत्तराखंड	46666	45233	-1433	288594	290164	1570	335260	335397	137
22	जम्मू और कश्मीर	97546	100433	2887	177302	216256	38954	274848	316689	41841
23	चंडीगढ़	24030	23257	-773	52660	59160	6500	76690	82417	5727
24	गोवा	26071	26060	-11	32354	30658	-1696	58425	56718	-1707
25	त्रिपुरा	11379	11683	304	28807	33866	5059	40186	45549	5363
26	पुदुचेरी	14440	13496	-944	20392	20599	207	34832	34095	-737
27	मेघालय	4552	4458	-94	12418	11477	-941	16970	15935	-1035
28	मणिपुर	8011	8208	197	4168	4371	203	12179	12579	400
29	अंदमान और निकोबार	3279	3476	197	4971	5292	321	8250	8768	518
30	मिजोरम	2451	2539	88	3446	3275	-171	5897	5814	-83
31	सिलवासा में दा.और ना.ह.	1879	1958	79	1909	2098	189	3788	4056	268
32	नागालैंड	497	627	130	2644	2713	69	3141	3340	199
33	दीव और दमण	1421	1445	24	1466	1620	154	2887	3065	178
34	सिक्किम	244	644	400	787	1177	390	1031	1821	790
35	अरुणाचल प्रदेश	720	403	-317	1171	984	-187	1891	1387	-504
36	लद्दाख	579	627	48	469	579	110	1048	1206	158
	कुल :	11084289	11040184	**-44105**	31442886	33156931	**1714045**	42527175	44197115	**1669940**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 903
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका में एससी/एसटी/ओबीसी कोटा

903. श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ/जिला अदालत स्तर पर न्यायपालिका में एससी/एसटी/ओबीसी के तीनों कोटा को पूरा करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;
(ख) अपना संबंधित कोटा पूरा करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;
(ग) उच्च न्यायालयों में एससी/एसटी/ओबीसी न्यायाधीशों की राज्य-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;
(घ) सरकार अधीनस्थ/जिला अदालतों में विभिन्न कोटा भरने के लिए क्या कदम उठा रही है; और
(ङ) सरकार उच्च न्यायालयों में एससी/एसटी/ओबीसी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग श्रेणियों के संबंध में इप्सित सूचना को इस विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है । केन्द्रीय सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर पर संविधान के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों के चयन, भर्ती और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है ।

(ग) : जहां तक उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग न्यायाधीशों की संख्या का प्रश्न है, उच्च न्यायायालय के न्यायाधीशों के उन्नयन के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा सामाजिक पृष्ठभूमि पर सूचना 2018 से प्रभावी पुनरीक्षित उपाबंध के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें अन्य सूचना के अतिरिक्त उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरें, विहित प्रारूप (उच्चतम न्यायालय के परार्मश से तैयार) पर उपलब्ध हैं । सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से 17.07.2023 तक नियुक्त उच्च न्यायालय के 604 न्यायाधीशों में से 458 न्यायाधीश सामान्य श्रेणी से, 18 न्यायाधीश अ.ज. श्रेणी से 09 न्यायाधीश अजज श्रेणी से, 72 न्यायाधीश अपिव श्रेणी से, 34 न्यायाधीश

अल्पसंख्यकों में से थे और शेष 13 न्यायाधीशों के संबंध में न्यायाधीशों के पद पर उनकी नियुक्ति पर विचार करते समय उनके द्वारा भरे गए उपाबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) : संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में संविधानिक ढांचे के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से संबंधित राज्य सरकारें, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मुद्दे के संबंध में नियम और विनियम विरचित करती है । अतः, अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में विभिन्न कोटा को भरने के लिए अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । कुछ राज्यों में संबंधित उच्च न्यायलय भर्ती प्रक्रिया को करते हैं, जब कि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से इस कार्य को करते हैं । इसलिए, केन्द्रीय सरकार की अधीनस्थ/जिला न्यायपालिका में विभिन्न कोटा को भरने के लिए भर्ती करने में कोई भूमिका नहीं है ।

(ङ) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती हैं जो किसी जाति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए किसी आरक्षण का उपबंध नहीं करते है । यद्यपि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक भिन्नता के प्रति प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से अनुरोध करती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडों वर्गों से संबंध रखने वाले और उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों पर सम्यकता विचार किया जाए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 904
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

देश में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थिति

904. श्री संदीप कुमार पाठक :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में देश में स्थापित कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या कितनी है, राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है:
(ख) इन समस्त फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स में अब तक कुल कितने मामले लम्बित पड़े हैं, राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;
(ग) कितने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायिक अधिकारियों सहित अन्य कर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए कुल कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : देश में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना, उस राज्य सरकार, जो संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालय स्थापित करती है, के क्षेत्राधिकार के भीतर है । 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने गंभीर प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्तियों, असाध्य रोगों आदि से संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित सिविल मामलों और पांच वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति संबंधित मामलों के त्वरित विचारण के लिए वर्ष 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए सिफारिश की थी । वित्त आयोग ने इस प्रयोजन के लिए (32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत) कर न्यायमन के माध्यम से उपलब्ध वृद्धित वित्तीय स्थान का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार से और अनुरोध किया था । संघ सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2015-16 से त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए निधियों को आवंटित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया था । इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 31.05.2023 तक 832 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की हैं । त्वरित निपटान न्यायालयों में कार्मिक जिसमें पॉक्सो न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी शामिल है, से संबंधित जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है ।

1

राज्य वार और वर्ष वार देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित और कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की कुल संख्या और इन सभी त्वरित निपटान न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या के क्रमश: राज्य वार ब्यौरे **उपाबंध-1 और 2** पर दिए गए हैं ।

दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने, अक्टूबर, 2019 से बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 1023 विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए जिसमें 389 अनन्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (ई-पॉक्सो) शामिल हैं, केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम का क्रियान्वयन किया है । उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 758 त्वरित निपटान न्यायालयों जिसमें 412 अनन्य पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं जिन्होने 1,69,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है जब कि 31 मई, 2023 तक इन न्यायालयों में 1,95,797 मामले लंबित हैं । इनमे अनन्य पॉक्सो न्यायालयों ने 1,08,000 से अधिक मामलों का निपटान किया हैं जब कि 1,30,000 से अधिक मामले लंबित हैं । 31.05.2023 तक कार्यरत न्यायालयों की संख्या, त्वरित निपटान न्यायालयों जिसमे अनन्य पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं, के द्वारा निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे उपाबंध-3 पर दिए गए हैं ।

उपाबंध-1

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 904 जिसका उत्तर 27.07.2023 को दिया जाना है, उपाबंध में दिया गया है (मई, 2023 तक)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**त्वरित निपटान न्यायालय 2018**	**त्वरित निपटान न्यायालय 2019**	**त्वरित निपटान न्यायालय 2020**	**त्वरित निपटान न्यायालय 2021**	**त्वरित निपटान न्यायालय 2022**	**त्वरित निपटान न्यायालय मई, 2023 तक**
1	आंध्र प्रदेश	21	21	21	21	22	22
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	08
3	असम	03	19	14	16	16	16
4	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	48	57	33	0	0	0
6	छत्तीसगढ	23	38	23	23	23	23
7	दिल्ली	4	10	5	7	10	06
8	गुजरात	0	0	0	35	54	54
9	गोवा	2	0	0	0	04	04
10	हरियाणा	6	6	5	6	06	06
11	हिमाचल	0	0	0	0	03	01
12	जम्मू-कश्मीर	0	5	1	4	04	05
13	झारखंड	32	0	40	6	34	34
14	कर्नाटक	0	0	13	18	0	0
15	केरल	0	0	23	28	0	0
16	मध्य प्रदेश	0	0	2	0	01	0
17	महाराष्ट्र	93	91	116	110	111	97
18	मणिपुर	4	4	6	6	06	06
19	मेघालय	0	0	0	0	0	0
20	मिजोरम	2	2	2	2	02	02
21	नगालैंड	1	0	1	0	0	0
22	ओडिशा	0	0	0	19	0	0
23	पंजाब	0	0	7	7	07	07
24	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
25	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
26	सिक्किम	02	01	02	02	02	02
27	तमिलनाडु	39	74	73	74	73	72
28	तेलंगाना	38	29	29	35	0	0
29	त्रिपुरा	3	11	11	11	03	03
30	उत्तर प्रदेश	286	368	389	376	372	372
31	उत्तराखंड	4	4	4	4	07	04
32	पश्चिमि बंगाल	88	88	87	88	88	88
	कुल	**699**	**828**	**907**	**898**	**848**	**832**

3

उपाबंध-2

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 904 जिसका उत्तर 27.07.2023 को दिया जाना है, उपाबंध में दिया गया है (मई, 2023 तक)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	लंबित मामले	लंबित मामले	लंबित मामले	लंबित मामले	लंबित मामले	मई, 2023 तक लंबित मामले
1	आंध्र प्रदेश	8179	6763	10069	10069	6855	7200
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	181
4	असम	1977	8108	10108	9356	10750	11518
5	बिहार	23055	20774	58636	69792	0	0
6	छत्तीसगढ	4999	6882	15310	17779	5330	5050
7	दिल्ली	1035	4210	40733	48520	4057	2788
8	गोवा	1298	0	0	0	2215	2286
9	गुजरात	0	0	33560	35335	6791	6527
10	हरियाणा	3337	924	58511	65337	873	791
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	15618	5102	497	226
12	जम्मू -कश्मीर	0	876	0	0	686	1071
13	झारखंड	4604	4632	14507	19371	7836	7916
14	कर्नाटक	0	0	38365	39458	0	0
15	केरल	0	0	100479	114020	0	0
16	मध्य प्रदेश	0	0	15584	25769	193	0
17	महाराष्ट्र	81104	107491	52079	67315	158149	137903
18	मणिपुर	719	210	634	634	360	309
19	मेघालय	0	0	0	0	0	0
20	मिजोरम	149	154	0	0	223	219
21	नगालैंड	3	0	66	153	0	0
22	ओडिशा	0	0	39670	44689	0	0
23	पुदुचेरी	0	0	1535	1452	0	0
24	पंजाब	0	0	52198	85061	255	225
25	राजस्थान	0	0	44222	46048	0	0
26	सिक्किम	12	6	188	195	14	14
27	तमिलनाडु	62916	6036	29970	32519	107346	92344
28	तेलंगाना	7948	9950	15469	18095	0	0
29	त्रिपुरा	1456	937	2551	3604	1393	1417
30	उत्तर प्रदेश	410718	405127	413176	396462	1086490	1221761
31	उत्तराखंड	886	567	15119	15997	1532	923
32	पश्चिमि बंगाल	44231	49723	0	1166	72824	77517
	कुल	**658626**	**633370**	**1078357**	**1173298**	**1474669**	**1578186**

उपाबंध-3

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 904 जिसका उत्तर 27.07.2023 को दिया जाना है, उपाबंध में दिया गया है
(मई, 2023 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत न्यायालय		स्कीम के प्रारंभ से संचयी निपटान			माह के अंत तक लंबित मामलों की संख्या			संचयी लंबितता
		ई पॉक्सो न्यायालय सहित त्वरित निपटान न्यायालय	ई पॉक्सो	संयुक्त त्वरित निपटान न्यायालय	ई पॉक्सो	कुल	संयुक्त त्वरित निपटान न्यायालय		ई पॉक्सो	
							बलात्संग	पॉक्सो		
1	छत्तीसगढ	15	11	547	2976	3523	107	400	1987	2494
2	गुजरात	35	24	1647	6598	8245	624	722	5181	6527
3	मिजोरम	3	1	95	30	125	7	32	24	63
4	नगालैंड	1	0	48	3	51	2	53	0	55
5	झारखंड	22	16	1651	2997	4648	634	564	3158	4356
6	मध्य प्रदेश	67	57	2865	15897	18762	2360	156	8806	11322
7	मणिपुर	2	0	95	0	95	12	106	0	118
8	हरियाणा	16	12	1117	3053	4170	291	726	2899	3916
9	चंडीगढ़	1	0	171	0	171	69	148	0	217
10	राजस्थान	45	30	3154	7126	10280	202	1198	5470	6870
11	तमिलनाडु	14	14	0	5178	5178	0	0	5036	5036
12	त्रिपुरा	**3**	1	108	125	233	151	45	106	302
13	उत्तर प्रदेश	218	74	23559	21429	44988	6422	24610	48758	79790
14	उत्तराखंड	4	0	1138	0	1138	322	599	0	921
15	दिल्ली	16	11	347	702	1049	1218	0	3151	4369
16	मेघालय	5	5	0	290	290	0	0	1013	1013
17	जम्मू -कश्मीर	**4**	2	63	63	126	188	0	252	440
18	पंजाब	12	3	1238	1488	2726	426	613	511	1550
19	हिमाचल प्रदेश	6	3	195	553	748	150	356	421	927
20	कर्नाटक	31	17	1890	4775	6665	2326	0	3008	5334
21	तेलंगाना	36	0	4047	2731	6778	205	7864	0	8069
22	पुदुचेरी	1	1	0	0	0	0	0	209	209
23	आंध्र प्रदेश	16	16	0	2729	2729	0	0	7277	7277
24	असम	17	17	0	3566	3566	0	0	4557	4557
25	बिहार	45	45	0	7533	7533	0	0	16013	16013
26	गोवा	1	1	0	30	30	0	0	44	44
27	केरल	53	14	8880	3990	12870	1066	4086	1775	6927
28	महाराष्ट्र	30	14	5439	8887	14326	688	2497	2632	5817
29	ओडिशा	39	23	2827	5472	8299	770	2570	7924	11264
30	पश्चिमि बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	758	412	61121	**108221**	**169342**	18240	47345	**130212**	**195797**

****

5

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 907
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

907. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये गये हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने संविधान में अनुच्छेद 312 अंतःस्थापित किया जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं (एआईजेएस) के सृजन का उपबंध करता है । संवैधानिक उपबंध एआईजेएस के जिला न्यायाधीश स्तर पर सृजन को समर्थ करता है, जिसमें जिला न्यायाधीश से निम्न कोई पद सम्मिलित नहीं है । सरकार के दृष्टिकोण में उचित ढंग से विरचित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संपूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक है । यह एक उचित अखिल भारतीय मेधावी चयन प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त योग्यता वाली नई विधिक प्रतिभा के प्रवेश का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समादेश के मुद्दे को भी हल करेगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विरचित किया गया था और उसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को अजेंडा आइटम के रूप में सम्मिलित किया गया तथा यह विनिश्चित किया गया कि इस मुद्दे पर और बातचीत तथा विचार करने की आवश्यकता है ।

राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के विचार इस प्रस्ताव पर मांगे गए । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के बीच विचारों की भिन्नता थी । जबकि कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे ।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन के संबंध में विषय भी मुख्य न्यायमूर्तियों के अधिवेशन के लिए अजेंडा के रूप में सम्मिलित किया गया, जो 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें त्वरित ढंग से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने की विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पद्धतियों के सृजन के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को निर्णय करने के लिए संकल्प किया गया । अगले दिन अर्थात् 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त अधिवेशन में भी इस मामले को रखा गया ।

16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महा-सालिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में, पात्रता, आयु, चयन का मापदंड, अर्हता, आरक्षण आदि के मुद्दों पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर विचार किया गया । मार्च, 2017 में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में भी एआईजेएस के गठन पर विचार-विमर्श हुआ तथा 22.02.2021 को एस.सी./एस.टी.के कल्याण पर संसदीय समिति में भी विचार किया गया|

मुख्य पणधारियों के बीच राय की विद्यमान भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 908
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठ वकीलों में से किया जाना

908. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले वरिष्ठ वकीलों की संख्या उन जिला अदालत/सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या से अधिक है जो पदोन्नति पाकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार किसी ऐसे कॉलेजियम से यह सिफारिश की योजना बना रही है कि जिला अदालत/सत्र अदालत के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : वर्ष 1999 में मुख्य न्यायमूर्ति के सम्मेलन मे पारित प्रस्ताव और 2001 की रिट याचिका (सि.) सं. 410, तारीख 20 अप्रैल, 2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में 66 2/3% रिक्तियां बार के सदस्यों से और 33% न्यायिक सेवा से की जाती हैं । 21.07.2023 तक बार और सेवाओं से न्यायाधीशों को दर्शाने वाला विवरण उपाबंध में दिया गया है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 में अधिकथित है और 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की अपनी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) बनाया गया है । एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है । उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को सरकार के विचार के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को विचार करने के लिए

भेजी जाती हैं । सरकार केवल उन्हीं सिफारिशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है, जिसकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है ।

****

उपाबंध

तारीख 21.07.2023 तक बार और सेवाओं से न्यायाधीशों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या		
			बार	सेवा	योग
1.	इलाहाबाद	160	75	20	95
2.	आंध्र प्रदेश	37	16	12	28
3.	बंबई	94	41	25	66
4.	कलकत्ता	72	30	21	51
5.	छत्तीसगढ़	22	09	06	15
6.	दिल्ली	60	34	11	45
7.	गुवाहाटी	30	16	08	24
8.	गुजरात	52	22	08	30
9.	हिमाचल प्रदेश	17	07	02	09
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	17	10	06	16
11.	झारखंड	25	12	08	20
12.	कर्नाटक	62	32	19	51
13.	केरल	47	23	09	32
14.	मध्य प्रदेश	53	19	15	34
15.	मद्रास	75	40	23	63
16.	मणिपुर	05	02	01	03
17.	मेघालय	04	02	01	03
18.	उड़ीसा	33	15	06	21
19.	पटना	53	21	11	32
20.	पंजाब और हरियाणा	85	45	17	62
21.	राजस्थान	50	20	14	34
22.	सिक्किम	03	02	01	03
23.	तेलंगाना	42	18	08	26
24.	त्रिपुरा	05	03	00	03
25.	उत्तराखंड	11	05	03	08
योग		**1114**	**519**	**255**	**774**
कार्यरत पद संख्या का % (774)			**67%**	**33%**	

****

3

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1697
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

निःशुल्क कानूनी सहायता देने वाले वकीलों का अनुपात

1697. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में देश में जनसंख्या के हिसाब से "निःशुल्क कानूनी सहायता" देने वाले वकीलों का अनुपात बेहद कम है;
(ख) निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध वकीलों की संख्या और इन पदों के लिए कुल रिक्तियों की राज्य-वार सूची क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों में देश में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की राज्य-वार सूची क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में कानूनी सहायता सेवाओं को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन किया गया है। इस प्रयोजन हेतु तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाए स्थापित की गयी हैं ।

पैनल वकीलों को आवश्यकता के अनुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के फीडबैक के अनुसार, विधिक सेवा संस्थाओं के पास पर्याप्त संख्या में पैनल वकील उपलब्ध हैं और पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पैनल वकीलों की कोई कमी नहीं है । वर्तमान में, पूरे देश में लगभग 49000 पैनल वकील विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध हैं। 31.12.2022 तक पैनल वकीलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-क** पर है ।
(ग) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान विधिक सेवा संस्थानों द्वारा मुफ्त विधिक सेवाओं से लाभान्वित/ उनको प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-ख** पर है ।
(घ) : एनएएलएसए ने देश में विधिक सहायता सेवाओं को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न डिजिटल पहले की हैं । ऑनलाइन विधिक सहायता आवेदन फाईल करने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है । वेब पोर्टल को www.nalsa.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है और यह दस (10) भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, उड़िया और कन्नड़ में उपलब्ध है ।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा न्याय तक पहुंच पर "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान की परिकल्पना करना" नामक एक स्कीम लागू की गई है, जिसका उद्देश्य टेली-लॉ के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह और परामर्श को मजबूत करना; न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम के माध्यम से प्रो बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने और पैन इंडिया विधिक साक्षरता और विधिक

जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए पैन-इंडिया डिस्पेंसेशन ढांचे को सुनिश्चित करना है । यह स्कीम अपने हस्तक्षेप का समर्थन करने और समाज के गरीब और सबसे कमजोर वर्गों तक विधिक सेवाओं की आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और क्षेत्रीय/स्थानीय बोली में प्रासंगिक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री विकसित करने पर आधारित है । स्कीम के अधीन ये सभी सेवाएँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

****

<u>उपाबंध –क</u>

संसद् सदस्य श्री एस निरंजन रेड्डी द्वारा राज्य सभा में पूछे गए निशुल्क कानुनी सहायता देने वाले वकीलों के अनुपात से संबंधित अतांराकित प्रश्न संख्या 1697 जिसका उत्तर 03.08.2023 को दिया जाना है के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

31.12.2022 तक पैनल वकील के ब्यौरों से संबंधित विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**पैनल वकील (एचसीएलएससी को छोड़कर)**	**एचसीएलएससी/उप समिति में पैनल वकील**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	38	0
2	आंध्र प्रदेश	1767	46
3	अरुणाचल प्रदेश	148	12
4	असम	1076	40
5	बिहार	2120	57
6	चंडीगढ़	131	199
7	छत्तीसगढ़	2912	198
8	दादरा और नागर हवेली	10	0
9	दमण और दीव	19	0
10	दिल्ली	1547	150
11	गोवा	150	11
12	गुजरात	2199	1041
13	हरियाणा	1756	199
14	हिमाचल प्रदेश	329	162
15	जम्मू-कश्मीर	663	27
16	झारखंड	1148	88
17	कर्नाटक	2649	112
18	केरल	3181	74
19	लद्दाख	16	0
20	लक्षद्वीप	0	0
21	मध्य प्रदेश	2046	296
22	महाराष्ट्र	4828	565
23	मणिपुर	193	10
24	मेघालय	174	16
25	मिजोरम	55	0
26	नागालैंड	102	12
27	ओडिशा	1116	166
28	पुडुचेरी	297	0
29	पंजाब	969	199
30	राजस्थान	1701	160
31	सिक्किम	161	0
32	तमिलनाडु	4088	350
33	तेलंगाना	1596	80
34	त्रिपुरा	268	39
35	उत्तर प्रदेश	2515	84
36	उत्तराखंड	310	25
37	पश्चिमी बंगाल	2194	0
	कुल	**44472**	**4418**

उपाबंध - ख

संसद सदस्य श्री एस निरंजन रेड्डी द्वारा राज्य सभा में पूछे गए निशुल्क कानुनी सहायता देने वाले वकीलों के अनुपात से संबंधित अतांराकित प्रश्न संख्या 1697 जिसका उत्तर 03.08.2023 को दिया जाना है के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण				
विगत तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन उपलब्ध कराई गई विधिक सेवाओं द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों के ब्यौरें से संबंधित विवरण				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	65	79	134
2	आंध्र प्रदेश	4474	6371	9473
3	अरुणाचल प्रदेश	1984	2657	5559
4	असम	10027	110254	38335
5	बिहार	38653	1689158	209809
6	चंडीगढ़	1242	1781	2653
7	छत्तीसगढ़	26814	42394	44106
8	दादरा और नागर हवेली	10	27	28
9	दमण और दीव	0	17	24
10	दिल्ली	82131	79055	96433
11	गोवा	875	1101	2041
12	गुजरात	8302	21953	32422
13	हरियाणा	11059	23260	43098
14	हिमाचल प्रदेश	2083	4806	5998
15	जम्मू-कश्मीर	7675	8870	7992
16	झारखंड	131691	649481	145217
17	कर्नाटक	23211	32794	45663
18	केरल	11242	16895	23418
19	लद्दाख	93	2408	711
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	87843	3343800	191921
22	महाराष्ट्र	12278	22595	36663
23	मणिपुर	56635	22651	26929
24	मेघालय	2131	2346	2769
25	मिजोरम	1670	3201	5038
26	नागालैंड	4231	7750	7390
27	ओडिशा	6029	8849	11880
28	पुडुचेरी	309	884	788
29	पंजाब	27096	36404	56448
30	राजस्थान	12274	13833	13472
31	सिक्किम	702	986	1127
32	तमिलनाडु	26491	38181	49570
33	तेलंगाना	3488	6712	12615
34	त्रिपुरा	2156	2671	5055
35	उत्तर प्रदेश	3545	132629	24890
36	उत्तराखंड	2343	3775	5386
37	पश्चिमी बंगाल	20906	29015	49714
	कुल	**631758**	**6369643**	**1214769**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1698
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में न्यायिक बुनियादी ढांचा

1698. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए 2018-19 में 650 करोड़ रूपये, 2019-20 में 981 करोड़ रुपये और 2020-21 में 594 करोड़ रूपये जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में, वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में किए गए आवंटन और अब तक किए गए उपयोग का वर्ष वार और राज्य वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार धनराशि के बेहतर उपयोग और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी पैटर्न को 60:40 से बदलकर 90:10 करने पर विचार करेगी जैसा कि विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के मामले में किया जा रहा है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय पालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है तथापि संघीय सरकार, राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए केन्द्र और राज्य के बीच विहित निधि-साझा पैर्टन मे उपलब्ध उनके लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से 1993-94 से न्याय पालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है । इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हॉलों और आवासीय ईकाइयों का निर्माण सम्मिलित है । वर्ष 2021 से न्यायालय हॉलों और आवासीय ईकाइयों के अतिरिक्त उपरोक्त केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की परिधि के अंतर्गत डिजिटल कंम्प्यूटर हॉल, वकीलो के लिए हॉल और प्रासाधन परिसर जैसे नए घटक भी सम्मिलित किए गए है । योजना के प्रारंभ से अब तक 10035 करोड़ रूपए की राशि दी गई है, जिसमें वर्ष 2014-15 से (66%) की राशि 6591 करोड़ रूपए दी गई है ।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 2018-19 के दौरान 650 करोड़ रूपए,

2019-20 के दौरान 982 करोड़ रूपए और 2020-21 के दौरान 593 करोड़ रूपए की राशि दी गई है ।

इस स्कीम को 900 करोड़ रूपए के बजट परिव्यय, जिसमें 5307 करोड़ रूपए इस स्कीम के लिए केन्द्र का अंश है, के साथ 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया गया है । जहां तक आध्र प्रदेश राज्य सरकार का संबंध है इस स्कीम के अधीन 28.07.2023 तक 222.42 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है । वर्ष 2021-22 में 770.44 करोड़ रूपए, 2022-23 में 848 करोड़ रूपए और वर्ष 2023-24 में 1051 करोड़ रूपए के आवंटन का आज की तारीख तक आंध्र प्रदेश राज्य सहित दी गई निधि और राज्यों के पास उपलब्ध अपव्यय अतिशेष का राज्य-वार ब्यौरा, उपाबंध में है ।

(ग) और (घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग मे विचाराधीन नहीं है । केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का निधि साझा पैर्टन वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

****

उपाबंध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 1698 जिसका उत्तर 03.08.2023 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण और 28.08.2023 तक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन दी गई निधि और अव्ययित अतिशेष का विवरण

(रू करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	आज की तारीख में अव्ययित धन
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	22.50	0.00	4.97
2.	बिहार	0.00	0.00	34.09	64.22
3.	छत्तीसगढ़	0.00	60.00	0.00	74.89
4.	गोवा	3.20	25.00	0.00	1.00
5.	गुजरात	0.00	6.22	0.00	1.92
6.	हरियाणा	0.00	0.00	20.10	35.70
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	4.67	5.41
8.	जम्मु-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	6.00	16.51	7.71	13.55
10.	कर्नाटक	27.00	82.01	12.10	27.90
11.	केरल	50.00	0.00	0.00	32.65
12.	मध्य प्रदेश	55.00	125.00	29.00	44.79
13.	महाराष्ट्र	18.00	100.00	8.11	0.00
14.	उडीशा	0.00	30.69	0.00	61.01
15.	पंजाब	16.50	12.50	18.42	35.86
16.	राजस्थान	41.50	71.66	27.87	48.72
17.	तमिलनाड्डु	35.66	133.85	0.00	199.55
18.	तेलंगाना	0.00	26.61	0.00	45.90
19.	उतराखंड	80.00	0.00	0.00	46.05
20.	उत्तर प्रदेश	219.00	0.00	0.00	109.24
21.	पश्चिमी बंगाल	0.00	0.00	0.00	23.73
कुल		**551.86**	**712.55**	**162.07**	877.06
	उत्तर-पूर्व राज्य				
1.	अरूणाचल प्रदेश	4.09	32.38	0.00	36.24
2.	असम	27.40	25.00	0.00	9.49
3.	मणिपुर	0.00	12.85	0.00	8.43
4.	मेघालय	28.02	50.00	4.27	0.00
5.	मिजोरम	9.50	0.00	2.42	2.59
6.	नागालैंड	13.27	0.00	0.00	3.58
7.	सिक्किम	0.00	2.27	0.00	2.08
8.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.32
कुल		**82.28**	**122.50**	**6.69**	62.73
	संघ राज्यक्षेत्र				
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.00	0.00	0.00
2.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	1.71
3.	दादर नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	30.00	0.00	0.00	0.84
6.	जम्मु-कश्मीर	20.00	12.60	0.00	11.68
7.	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.14
9.	पुडुचेरी	0.00	9.55	0.00	9.22
	कुल	**50.01**	**22.15**	**0.00**	23.59
	कुल योग	**684.15**	**857.20**	**168.76**	**963.38**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1703
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाएँ

1703. श्री सी. वी. षनमुगम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुकदमों की कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किए जाने के पक्ष में है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार को क्षेत्रीय भाषाओं में मुकदमे लड़े जाने के संबंध में कुछ राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (छ) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1)(क) उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) में कहा गया है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 उपबंध करती है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय में यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी ।

वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का उपयोग प्राधिकृत किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय के पश्चात्, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी का उपयोग प्राधिकृत किया गया था ।

भारत सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में क्रमशः, तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के उपयोग की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी और यह सूचित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायालय ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने का विनिश्चय किया है ।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पहले के विनिश्चयों की समीक्षा करने और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति से अवगत कराने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने संसूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने का विनिश्चय किया और माननीय न्यायालय के पहले के विनिश्चयों को दोहराया ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1704
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

मद्रास उच्च न्यायालय के नाम में बदलाव

1704. श्री सी. वी. षनमुगम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय के नाम में प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलने के लिए सरकार द्वारा नया विधेयक कब तक लाया जाएगा; और
(च) अन्य उच्च न्यायालयों के नाम बदलने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : मद्रास शहर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1996 के अधिनियमन के साथ ही, मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया, जिसके बाद 1997 में, तमिलनाडु सरकार ने, मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर चेन्नई उच्च न्यायालय करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा । चूंकि बाम्बे और कलकत्ता शहरों के नाम भी मुंबई और कोलकात्ता के रूप में बदल दिए गए थे ; और राज्यों के संबधित उच्च न्यायालय इन शहरों में स्थित हैं, इन दोनो उच्च न्यायालयों के नाम भी बदलना उचित समझा गया । सरकार ने बाम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों को क्रमशः मुंबई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालयों के रूप में बदलने के संबंध में "उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016" नामक एक विधान लाई और इसे 19 जुलाई, 2016 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था ।

इसी बीच उड़ीसा राज्य का नाम ओड़िशा और गौहाटी शहर का नाम बदलकर गुवाहाटी कर दिया गया । उपरोक्त को ध्यान मे रखते हुए, बाम्बे, मद्रास, कलकत्ता, उड़ीसा और गौहाटी के उच्च न्यायालयों का नाम बदलकर क्रमशः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ओड़िशा और गुवाहाटी करने का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया गया था ।

उपरोक्त परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श किया गया था । तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर "तमिलनाडु उच्च न्यायालय" रखा जाए । तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का नाम बदलने के प्रस्ताव पर सहमत नही हुआ । महाराष्ट्र और गोवा राज्य सरकार तथा बाम्बे उच्च न्यायालय ने बाम्बे उच्च न्यायालय का नाम बदलकर मुंबई उच्च न्यायालय करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई । उड़ीसा उच्च-न्यायालय और ओड़िशा की राज्य सरकार के साथ-साथ गौहाटी उच्च न्यायालय और असम की राज्य सरकार ने भी संबंधित उच्च न्यायालयों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई । तथापि, कलकत्ता उच्च न्यायालय और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार दोनों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे ।

उच्च न्यायालय (नामों में परिवर्तन) विधेयक, 2016 को आगे नही बढ़ाया जा सका और 16वीं लोक सभा के विघटन होने के कारण यह समाप्त हो गया ।

श्री वी. पी. पाटिल द्वारा बाम्बे उच्च न्यायालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने और इसी तरह अन्य उच्च न्यायालयों के नाम भी उस राज्य के नाम के अनुसार, जिसमें वे स्थित हैं बदलने के लिए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं. 401/2020 फाइल की गई थी । उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 03.11.2022 के आदेश द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया है । वर्तमान में, इस विषय पर विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1705
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

देश में जिला न्यायालयों में रिक्तियां

1705. डा. सी. एम. रमेश :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालयों में कितनी रिक्तियां हैं और कितनी रिक्तियां भरी गई हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या इन रिक्तियों के कारण लंबित मामलों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या उपाबंध-1 पर हैं ।

जिला न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने का जहां तक संबंध है, केन्द्रीय सरकार की संविधान के अधीन कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । संवैधानिक ढांचे के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके संबंधित राज्य न्यायपालिका सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मामले में नियमों और विनियमों को विरचित करती हैं । इसप्रकार, अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों का चयन और नियुक्तियां संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं । कुछ राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया को करते हैं जब कि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से इसे करते हैं ।

इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों की रिक्तियां केवल न्यायालयों में मामलों की लंबितता बढ़ाने के कारण नहीं है । न्यायालयों में मामलों की लंबितता के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारी की उपलब्धता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारी अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी और मुकदमेबाजों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपायोजन सहित तथ्यों की जठिलता शामिल हैं । अन्य कारक, जो मामलों की लंबितता को बढ़ाते हैं, जिसमें मामलों के विभिन्न प्रकारों के निपटान के लिए

संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और निगरानी, ट्रैक तथा सुनवाई के लिए मामलों की अधिकता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल हैं ।

****

उपाबंध – 1

'देश मे जिला न्यायालयों में रिक्तियां' से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1705 जिसका उत्तर तारीख 03.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियां														
क्र.सं.	उनके उच्च न्यायालयों के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम		31.12.2020 तक			31.12.2021 तक			31.12.2022 तक			28.07.2023 तक		
			एसएस	डब्लूएस	वी	एसएस	डब्लूएस	वी	एसएस	डब्लूएस	वी	एसएस	डब्लूएस	वी
1	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	आंध्र प्रदेश	607	510	97	607	491	116	607	534	73	618	544	74
2	तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय	तेलंगाना	474	378	96	474	425	49	560	410	150	560	415	145
3	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	अरूणाचल प्रदेश	41	32	9	41	32	9	41	33	8	42	33	9
4		असम	466	412	54	467	436	31	485	425	60	485	443	42
5		मिजोरम	64	43	21	65	42	23	74	41	33	74	41	33
6		नागालैंड	33	26	7	34	24	10	34	24	10	34	24	10
7	पटना उच्च न्यायालय	बिहार	1936	1433	503	1954	1394	560	2016	1349	667	2016	1554	462
8	हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय	चंडीगढ़	30	26	4	30	30	0	30	30	0	30	29	1
9		हरियाणा	772	493	279	772	482	290	772	464	308	772	576	196
10		पंजाब	692	593	99	692	607	85	797	589	208	797	587	210
11	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	छत्तीसगढ़	480	387	93	482	409	73	527	437	90	556	431	125
12	मुंबई उच्च न्यायालय	दादर और नागर हवेली	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1
13		दमण और दीव	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
14		गोवा	50	40	10	50	40	10	50	40	10	50	40	10
15		महाराष्ट्र	2190	1940	250	2190	1940	250	2190	1940	250	2190	1940	250
16	दिल्ली उच्च न्यायालय	दिल्ली	799	648	151	884	692	192	884	681	203	887	706	181
17	गुजरात उच्च न्यायालय	गुजरात	1521	1152	369	1523	1123	400	1582	1151	431	1582	1186	396
18	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	हिमाचल प्रदेश	175	161	14	175	160	15	179	163	16	179	160	19
19	संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय	जम्मू-कश्मीर	296	255	41	300	241	59	314	223	91	314	227	87
20		लद्दाख	16	8	8	17	9	8	17	9	8	17	9	8
21	झारखण्ड उच्च न्यायालय	झारखंड	675	544	131	675	523	152	694	508	186	694	503	191
22	कर्नाटक उच्च न्यायालय	कर्नाटक	1357	1071	286	1363	1087	276	1365	1132	233	1367	1125	242
23	केरल उच्च न्यायालय	केरल	538	470	68	569	488	81	595	473	122	603	523	80
24		लक्षद्वीप	3	3	0	3	3	0	4	4	0	4	3	1
25	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	मध्य प्रदेश	2021	1610	411	2021	1552	469	2021	1649	372	2028	1607	421
26	मणिपुर उच्च न्यायालय	मणिपुर	54	36	18	59	42	17	59	42	17	59	42	17

स्रोत:- एमआईएस पोर्टल, न्याय विभाग ।
टिप्पण: - एसएस (स्वीकृत पद संख्या), डब्लूएस (कार्यरत पद संख्या), वी (रिक्तियां) ।

27	मेघालय उच्च न्यायालय	मेघालय	97	49	48	97	49	48	99	51	48	99	57	42
28	ओडिशा उच्च न्यायालय	ओडिशा	950	756	194	976	785	191	1001	767	234	1003	808	195
29	मद्रास उच्च न्यायालय	पुदुचेरी	26	11	15	26	11	15	28	11	17	29	11	18
30		तमिलनाडु	1298	1049	249	1316	1082	234	1340	1068	272	1364	1046	318
31	राजस्थान उच्च न्यायालय	राजस्थान	1489	1292	197	1549	1274	275	1587	1256	331	1616	1358	258
32	सिक्किम उच्च न्यायालय	सिक्किम	25	20	5	28	20	8	30	21	9	35	23	12
33	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	त्रिपुरा	120	97	23	122	97	25	128	108	20	128	109	19
34	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	उत्तर प्रदेश	3634	2581	1053	3634	2542	1092	3647	2474	1173	3694	2484	1210
35	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	उत्तराखंड	297	255	42	299	271	28	299	269	30	299	277	22
36	कलकत्ता उच्च न्यायालय	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96	1014	918	96	1014	918	96	1014	918	96
37		अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13
कुल			**24247**	**19318**	**4929**	**24515**	**19340**	**5175**	**25077**	**19313**	**5764**	**25246**	**19858**	**5388**

स्रोत:- एमआईएस पोर्टल, न्याय विभाग ।

टिप्पण: - एसएस (स्वीकृत पद संख्या), डब्लूएस (कार्यरत पद संख्या), वी (रिक्तियां) ।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1707
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1707. श्री रायगा कृष्णैया :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए कोई कदम उठाया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने सभी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित न्यायाधीशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी नहीं, जिला न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय तक न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण के लिए कोई उपबंध नहीं है ।

(ग) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो व्यक्तियों की किसी जाति और वर्ग के लिए आरक्षण हेतु कोई उपबंध नहीं करते हैं तथापि, सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उचित अभ्यर्थियों पर सम्यक् विचार-विमर्श किया जाए । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1708
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की स्थिति

1708. डा. सांतनु सेन :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा है जिन्हें ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत शामिल किया गया है या शामिल किया जाना बाकी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार के पास एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधि या आवंटित की गई निधि का कोई आंकड़ा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी निधि का उपयोग और हिसाब-किताब किस प्रकार किया जाता है; और
(ङ) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र या मानदंड है कि निधि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समय पर जारी और संवितरित की जाए?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रुप में, भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए कार्यान्वयन के अधीन ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना है । ई-न्यायालय परियोजना को संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रित रीति में भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, के सहयोजन से न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीति योजना, नीतिगत निदेश और मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है और न्याय विभाग के साथ सहयोगकारी भागीदारी में कार्य करती है जो परियोजना के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है । परियोजना का चरण-2 2015 से 2023 में कार्यान्वित किया गया था । 1670 करोड़ रु. के कुल बजट में से 1668.43 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है । अब तक 18,735 जिला और

अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है । देश में परिचालित ई-न्यायालयों का विस्तृत विभक्तीकरण **उपाबंध-1** पर संलग्न किया गया है ।

न्याय विभाग के पास ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन निधियों को जारी करने और संवितरण करने के लिए अच्छी अधिकथित प्रक्रिया है । ई-न्यायालय परियोजना चरण 2 के अधीन संघटकों के कार्यान्वयन के लिए निधियों को मंजूर करने के लिए अनुरोध प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा तैयार किया जाता है और अनुमोदन के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति को भेजा जाता है । उच्चतम न्यायालय की, ई-समिति प्रस्ताव का परीक्षण और अनुमोदन करने के पश्चात इसे न्याय विभाग को निधियां जारी करने के लिए भेजती है । एकीकृत वित्त विभाग (न्याय विभाग) की सिफारिश पर न्याय विभाग प्रत्यक्ष रुप से संबंधित उच्च न्यायालय को निधियां जारी करता है । परियोजना के चरण 2 के अधीन निधियों को अभिकरण–वार जारी करना **उपाबंध 2** पर संलग्न किया गया है ।

****

उपाबंध -1

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की प्रास्थिति से संबंधित राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1708 जिसका उत्तर 03/08/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । देश में परिचालित ई-न्यायालयों के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बॉम्बे	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमण और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुडुचेरी	4	24
		तमिल नाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	ओड़िशा	ओड़िशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	कुल		**3452**	**18735**

<u>उपाबंध 2</u>

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की प्रास्थिति से संबंधित राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1708 जिसका उत्तर 03/08/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। ई-न्यायालय चरण 2 (अभिकरण–वार) के अधीन जारी की गई निधि के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अभिकरण	**जारी की गई निधियां (करोड़ रूपए में)**
उच्च न्यायालय	1164.37
एनआईसी/एनआईसीएसआई	180.57
बीएसएनएल	293.68
ई-समिति, एससीआई	13.50
अन्य प्रकीर्ण व्यय (वेतन, प्रचार आदि)	16.31
कुल	**1668.43**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1709
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

महाराष्ट्र और दिल्ली न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा

1709. श्री अनिल देसाई :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और दिल्ली के न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं;
(ख) उन मजिस्ट्रेट, सत्र अदालतों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों की सूची क्या है जिनमें कार्यवाही के संचालन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली पूरी तरह कार्यात्मक है; और
(ग) क्या यह सुविधा शत-प्रतिशत उपलब्ध है, यदि नहीं, तो इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या उपाबंध-1 पर हैं ।

(ख) और (ग) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन परियोजना के फेज 1 के दौरान वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा 488 न्यायालय परिसरों और 342 तत्स्थानी कारागारों के बीच प्रचालित की गई है । परियोजना के ई-न्यायालय फेज 2 में प्रत्येक के लिए एक वीडियो कान्फ्रेसिंग उपस्कर तालुका स्तरीय न्यायालय सहित सभी न्यायालय परिसरों के लिए उपलब्ध कराया गया है और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीडियो कान्फ्रेसिंग उपस्कर के लिए निधियां स्वीकृत की गई हैं । 2056 वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों को स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं । 1500 वीडियो कान्फ्रेसिंग अनुज्ञप्तियां अर्जित की गई हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग पहले ही समर्थ बना दी गई हैं । 30.06.2023 तक वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अपने सहबद्ध जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के साथ बंबई उच्च न्यायालय ने 144568 मामलों की और अपने सहयुक्त जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5044286 मामलों की सुनवाई की है । वीडियो कान्फ्रेसिंग के संचालन में एकसमानता और मानकीकरण लाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने 06 अप्रैल, 2023 को एक आदेश पारित किया था जो

वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय सुनवाईयों को विधिक बल और वैधता प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, 5 न्यायाधीश समिति ने वीडियो कान्फ्रेसिंग नियमों की विरचना की, जिन्हे स्थानीय अनुकूलन के पश्चात् अंगीकार किए जाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किया गया था ।

****

उपाबंध – 1

<u>'महाराष्ट्र और दिल्ली न्यायालयों में वीडियो कॉनफ्रेसिंग सुविधा' से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1709 जिसका उत्तर 03.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

दिल्ली और महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्षों में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में लंबितता							
क्र.सं.	**राज्य**	**न्यायालय का नाम**	**पिछले 5 वर्ष में लंबित मामलों की संख्या**				
			31.12.2018 तक	**31.12.2019 तक**	**31.12.2020 तक**	**31.12.2021 तक**	**31.12.2022 तक**
1	दिल्ली	उच्च न्यायालय	74536	80950	91195	100068	105271
		जिला और अधीनस्थ न्यायालय	834813	882366	955850	1082415	1293571
2	महाराष्ट्र	उच्च न्यायालय	287864	305962	559119	569018	610734
		जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3531425	3821487	4516311	4881718	4982911

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1710
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास

1710. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत के बाद से न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इसके तहत किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में अब तक इस योजना के तहत निर्मित न्यायालय भवनों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय निवासों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश भर में इस योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों की है । तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) लागू कर रही है, जिसमें उन्हें केंद्र और राज्यों के बीच साझाकरण पैटर्न विहित निधि में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवासों का निर्माण सम्मिलित है । वर्ष 2021 से, उपरोक्त सीएसएस के दायरे में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त , डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, वकीलों के हॉल और शौचालय परिसरों के नए घटक भी जोड़े गए हैं । स्कीम की शुरुआत से अब तक इसके 10035 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी हैं, जिसमें से रु. 2014-15 से 6591 करोड़ (66%) जारी किए गए हैं । 30.06.2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 19,876 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के मुकाबले 21,365 संख्या में न्यायालय हॉल और 18,846 संख्या में आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, न्याय विकास पोर्टल के अनुसार, 2,811 न्यायालय हॉल और 1640 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं । इस स्कीम को 9000 करोड़ रु.

रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें इस स्कीम के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी समेत 5307.00 करोड़ भी हैं ।

जहां तक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को जारी की जाने वाली राशि का संबंध है, स्कीम के अधीन 28.07.2023 तक 222.42 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30.06.2023 तक आंध्र प्रदेश राज्य में 647 न्यायालय हॉल और 574 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, 99 न्यायालय हॉल और 16 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं । डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, वकीलों के हॉल और शौचालय आवश्यक रूप से न्यायालय परिसर का हिस्सा हैं और स्कीम के अधीन परियोजना-वार/घटक-वार धन जारी नहीं किया जाता है । तथापि, राज्यों को 2021-22 से स्कीम के अधीन शुरू किए गए वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के नए तत्वों के बारे में जागरूक किया गया है ।

(ग) : सरकार निचली और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है । स्कीम के समयबद्ध और उचित कार्यान्वयन के लिए, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी तंत्र हैं ।

राज्य में संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक उच्च न्यायालय स्तरीय निगरानी समिति है, और इसमें अन्य हितधारक जैसे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, राज्य के विधि/गृह सचिव और राज्य लोक निर्माण विभाग के सचिव सदस्य के रूप में भी होते हैं । यह समिति स्कीम के अधीन चल रही परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए हर छह महीने में बैठक करती है ।

इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए न्याय विभाग में सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति है ।

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों का नियमित दौरा किया जाता है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं ।

लोक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएमएस) से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से निधियाँ जारी की जाती हैं और उपयोग की निगरानी की जाती है ।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चल रही परियोजनाओं को वास्तविक समय में जियो-टैग करना और इसे न्याय विकास पोर्टल पर प्रतिबिंबित करना आवश्यक है, जो न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति और समयबद्ध समापन डेटा संग्रह के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की तकनीकी सहायता से विकसित एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है ।

उक्त सभी के अलावा, इस स्कीम में अपने मानदंडों और विशिष्टताओं के मामले में पर्याप्त लचीलापन है, जिससे राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और भू-स्थानिक विशिष्टताओं का ध्यान रख सकें ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1711
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

1711. श्री प्रमोद तिवारी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2019 से देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के न्यायाधीशों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : वर्ष 2019 से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रत्येक वर्ष नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण उपाबंध पर देखा जा सकता है ।

उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में सामाजिक विविधता से संबंधित डाटा को पुनरीक्षित उपाबंध (2018 में पुनरीक्षित) के अनुसार संस्थागत बनाया गया है जिसमें अनुशंसाकर्ताओं को विहित किए गए रुप विधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार किया गया) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरे प्रदान करने होंगे । विभिन्न उच्च न्यायालयों में उनकी नियुक्ति के समय पर अनुशंसाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, वर्ष 2019 से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	उपलब्ध नहीं	कुल नियुक्तियां
2019	64	3	1	8	3	2	**81**
2020	52	2	-	11	1	-	**66**

2021	85	2	4	16	13	-	**120**
2022	137	6	-	17	5	-	**165**
2023	38	3	2	15	7	-	**65**
कुल	**376**	**16**	**7**	**67**	**29**	**2**	**497**

उच्चतम न्यायालय के बाबत ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए उपबंध नहीं करते हैं । कॉलेजियम के माध्यम से संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में, अभ्यर्थियों की सिफारिश का भार और इस प्रकार एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यंक महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों को सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व प्रदान करना प्राथमिक रुप से न्यायपालिका पर है । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है ।

तथापि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध रहती है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है कि प्रस्ताव भेजते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूजित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में आने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रुप से विचार किया जाए ।

****

उपाबंध

वर्ष 2019 से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रत्येक वर्ष नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की कुल संख्या

		वर्ष					कुल
उच्चतम न्यायालय		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
		10	-	09	03	11	**33**
उच्च न्यायालय							
क्र.सं.	**नाम**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**कुल**
1.	इलाहाबाद	10	04	17	13	9	53
2.	आंध्र प्रदेश	02	07	02	14	2	27
3.	बॉम्बे	11	04	06	19	4	44
4.	कलकत्ता	06	01	08	16	-	31
5.	छत्तीसगढ़	-	-	03	3	1	7
6.	दिल्ली	04	-	02	17	3	26
7.	गुवाहाटी	04	-	06	2	2	14
8.	गुजरात	03	07	07	-	7	24
9.	हिमाचल प्रदेश	02	-	01	2	-	5
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	-	05	02	4	-	11
11.	झारखंड	02	-	04	1	-	7
12.	कर्नाटक	10	10	06	6	4	36
13.	केरल	01	06	12	1	-	20
14.	मध्य प्रदेश	02	-	08	6	7	23

15.	मद्रास	01	10	05	4	11	31
16.	मणिपुर	-	01	-	-	1	2
17.	मेघालय	01	-	-	-	1	2
18.	ओड़िशा	01	02	04	6	-	13
19.	पटना	04	-	06	11	-	21
20.	पंजाब और हरियाणा	10	01	06	21	1	39
21.	राजस्थान	03	06	08	2	9	28
22.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-
23.	तेलंगाना	03	01	07	17	-	28
24.	त्रिपुरा	-	01	-	-	-	1
25.	उत्तराखंड	01	-	-	-	3	4
कुल		**81**	**66**	**120**	**165**	**65**	**497**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1713
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

वसीयत और बिक्री-करार के पंजीकरण की आवश्यकता

1713. श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपंजीकृत वसीयत और अपंजीकृत बिक्री-करार की प्रामाणिकता के संबंध में अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मुकदमों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार के पास इन मुकदमों की संख्या कम करने के लिए वसीयत और बिक्री-करार के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) वसीयत और बिक्री-करार के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में प्रस्ताव, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न मामलों का रिकार्ड राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर ऱखा जाता है । तथापि एनजेडीजी पर, अरजिस्ट्रीकृत वसीयतों और अरजिस्ट्रीकृत करारों की अधिप्रमाणिकता से संबंधित मामलों का कोई पृथक प्रवर्ग नहीं रखा जाता है ।

दस्तावेजों और विलेख का रजिस्ट्रीकरण संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची -3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि सं. 6 के अनुसार समवर्ती विषय है और अधिनियम के उपबंध 6 के अनुसार समवर्ती विषय है और अधिनियम के उपबंध राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाते है । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 दस्तावेजें जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, के लिए उपबंध करती है । अगस्त, 2013 में राज्य सभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा लाया गया रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 अन्य बातों के साथ संपत्ति के पट्टे की अवधि को विचार में लाये बिना अचल संपत्ति के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है जिसके अंतर्गत यदि संपत्ति एक वर्ष से कम के लिए पट्टे पर दी गई है; देश में कहीं भी अचल संपत्ति दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देना; घाटा रजिस्ट्रीकरण फीस की वसूली और अतिरिक्त फीस की वापसी भी है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1714
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

लंबित मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा

1714. श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों में लंबित दीवानी मामलों के निपटान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके गैर-अनुपालन के क्या कारण हैं;
(ग) यदि नहीं, तो दीवानी मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा नहीं होने के क्या कारण हैं; और
(घ) अब तक देश में सर्वाधिक समय से लंबित सिविल मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल मामलों का निपटान न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है और केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 मामला प्रबंधन के लिए कतिपय समय मानकों को विहित करती है जैसे कि प्रतिवादी पर नोटिस तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर लिखित कथन फाईल कर दिया जाना चाहिए (आदेश 8 नियम 1) और निर्णय सुनवाई समाप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए (आदेश 20 नियम 1)। इसके अतिरिक्त, संहिता सिविल मामलों में न्यायालय कार्यवाहियों के स्थगनों को सीमित करने के लिए भी उपबंध करती है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 17 में अंतर्विष्ट है । तथापि, सभी सिविल मामलों के निपटान के लिए निश्चित और एक समान समय सीमा विहित करना व्यवहार्य नहीं है जैसे मामलों का निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मामले (सिविल और आपराधिक) की श्रेणी, अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग, के अतिरिक्त भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद, और प्रक्रिया के नियमों का उपयोजन भी है । ऐसे कई कारक है जो मामले के निपटान में विलंब कर सकते हैं, इनमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन, पुनरीक्षणों/अपीलों की संख्या और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी के लिए पर्याप्त इंतजामों की कमी, उनका पता लगाना और एकत्रित करना भी सम्मिलित है ।

(घ) : एनजेडीजी पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आज तारीख तक देश में लंबे समय से लंबित सिविल मामलें अर्थात् लगभग 30 वर्ष का विस्तृत विवरण, राज्य-वार **उपाबंध 1** पर है ।

****

उपाबंध -1

'लंबित मामलों के निपटान के लिए समयसीमा' से संबंधित राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1714 जिसका उत्तर 03.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

सिविल लंबित मामले लगभग 30 वर्ष की कुल संख्या (28.07.2023 तक)		
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**लंबित मामले लगभग 30 वर्ष की संख्या**
1	अंदमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	25
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	21
5	बिहार	4266
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	16
8	दादरा और नागर हवेली	54
9	दमण और दीव	0
10	दिल्ली	0
11	गोवा	221
12	गुजरात	258
13	हरियाणा	09
14	हिमाचल प्रदेश	05
15	जम्मू-कश्मीर	22
16	झारखंड	126
17	कर्नाटक	141
18	केरल	124
19	लद्दाख	0
20	मध्य प्रदेश	49
21	महाराष्ट्र	2083
22	मणिपुर	0
23	मेघालय	12
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	385
27	पुडुचेरी	01
28	पंजाब	07
29	राजस्थान	456
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	245
32	तेलंगाना	22
33	त्रिपुरा	01
34	उत्तर प्रदेश	19747
35	उत्तराखंड	01
36	पश्चिमी बंगाल	3097
	कुल	**31394**

स्रोतः- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *226
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु

***226. श्री राजीव शुक्ला :**

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालयों के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु एक समान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

“उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु” से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *226 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है के भाग (क) से (ङ) के उत्तर मे निर्दिष्ट विवरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 (2) यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और वह तब तक पद धारण करेगा जब तक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 217 का खंड (1) यह उपबंध करता है कि उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जबतक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है । अनुच्छेद 224 का खंड (3) यह उपबंध करता है कि उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप मे नियुक्त कोई व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो आरंभ में 60 वर्ष निर्धारित की गई थी, भारत में मुख्यतः जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तारीख 01.12.1962 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष की वृद्धि के अनुसरण में संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, द्वारा तारीख 05.10.1963 से पुनरीक्षित करके 62 वर्ष कर दी गई थी ।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने तारीख 29.04.2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत अपनी 39वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के बराबर किए जाने के लिए 62 वर्ष से 65 वर्ष तक बढ़ाने की सिफारिश की है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष तक करने के लिए वर्ष 2010 में संविधान का 114वां संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया गया था । तथापि, संसद् में इस पर विचार नहीं हो पाया और यह 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ व्यपगत हो गया ।

वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *232
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

देश में न्यायालय के प्रकार

***232. श्री राघव चड्ढा :**

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत भिन्न-भिन्न प्रकार के न्यायालयों की राज्य वार, जिला वार और प्रकार-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश के विभिन्न न्यायालयों में पंजीकृत वकीलों की न्यायालयवार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

'देश में न्यायालय के प्रकार' के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 232 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

(क) : भारत के संविधान द्वारा यथा अधिकथित, भारत का उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता निहित है । इसके अतिरिक्त, ऐसे उच्च न्यायालय भी हैं जो राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख हैं । संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उन सभी क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण होगा जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है । देश में चल रहे उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों की राज्य/जिला-वार कुल संख्या दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण **उपाबंध-1** पर है ।

(ख) : मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के 07.04.2013 को आयोजित संयुक्त सम्मेलन के दौरान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 25% बढ़ाने का विनिश्चय किया गया । तदनुसार, 01.07.2014 से 21.03.2023 की अवधि के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से, सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 208 पद बढ़ाकर अर्थात् 906 से 1114 कर दी गई है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की पद संख्या का पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, चयन और भर्ती कतिपय राज्यों में उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है, जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से ऐसा करते हैं । इस मामले में केंद्रीय सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है ।

(ग) : वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की पद संख्या 17 से बढ़ाकर 25 न्यायाधीश करने का प्रस्ताव है । उच्चतम न्यायालय में पद संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

(घ) : विधि कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश में विभिन्न राज्य विधिक परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल अधिवक्ताओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति **उपाबंध-2** पर है ।

(ङ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 28 अक्टूबर 1998 के उच्चतम न्यायालय की उनकी सलाहकारी राय (तीसरे न्यायाधीशों का मामला) के साथ पठित 6 अक्टूबर 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की जाती है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें, अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे के संबंध में नियम और विरचित करती हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है ।

****

3

उपाबंध-1

'देश में न्यायालय के प्रकार' के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *232 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

देश में चल रहे उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों की कुल संख्या, राज्य/जिला-वार दर्शाने वाला विस्तृत विवरण ।

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	राज्य/अधिकारिता क्षेत्र	कुल जिले	कुल जिला न्यायालय परिसर
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	74	183
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	13	189
3	बंबई	दादरा और नागर हवेली	1	2
		दमण और दीव	2	2
		गोवा	2	16
		महाराष्ट्र	40	487
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	4
		पश्चिमी बंगाल	22	90
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	23	89
6	दिल्ली	दिल्ली	11	12
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	4	4
		असम	33	79
		मिजोरम	3	12
		नागालैंड	9	5
8	गुजरात	गुजरात	32	338
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	11	50
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और	20	82
		लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	2	4
11	झारखंड	झारखंड	24	24
12	कर्नाटक	कर्नाटक	31	206
13	केरल	केरल	15	174
		लक्षद्वीप		
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	50	230
15	मद्रास	पुदुचेरी	4	4
		तमिलनाडु	32	271
16	मणिपुर	मणिपुर	9	21
17	मेघालय	मेघालय	11	13
18	ओडिशा	ओडिशा	30	124
19	पटना	बिहार	37	80
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	1
		हरियाणा	21	58
		पंजाब	22	69
21	राजस्थान	राजस्थान	36	330
22	सिक्किम	सिक्किम	6	9
23	तेलंगाना	तेलंगाना	33	115
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	8	20
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	13	69
		कुल	**686**	**3466**

स्रोत-राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

'देश में न्यायालय के प्रकार' के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *232 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

विभिन्न राज्य विधिक परिषद में नामांकित कुल अधिवक्ताओं की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण ।

क्र.सं.	राज्य विधिक परिषद	निम्नलिखित तारीख को	अधिवक्ता की कुल संख्या
1	असम	--	37326
2	आंध्र प्रदेश	14.03.2023	74522
3	तेलंगाना	03.03.2023	46555
4	बिहार	17.03.2023	136721
5	छत्तीसगढ	04.08.2022	31429
6	दिल्ली	17.03.2023	149655
7	गुजरात	29.07.2022	108181
8	हिमाचल प्रदेश	16.03.2023	12578
9	झारखंड	18.03.2023	31248
10	कर्नाटक	03.07.2022	111162
11	केरल	30.07.2022	58770
12	मध्य प्रदेश	23.08.2022	112390
13	महाराष्ट्र और गोवा	02.04.2021	191394
14	ओडिशा	10.08.2022	58697
15	पंजाब और हरियाणा	20.07.2021	117423
16	राजस्थान	03.03.2023	99597
17	तमिलनाडु	30.07.2022	114584
18	उत्तर प्रदेश	01.04.2021	400016
19	उत्तराखंड	16.03.2023	18804
20	पश्चिमी बंगाल	01.04.2021	86555
21	जम्मू-कश्मीर	--	10589
22	त्रिपुरा	06.08.2022	1489
23	मणिपुर	02.03.2023	1974
24	मेघालय	16.03.2023	1422
	कुल		**2013081**

स्रोत :- विधि कार्य विभाग

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2509
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मुकदमे

2509. श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अदालतों द्वारा निर्णय देने की धीमी गति से जनता में फैले असंतोष से क्या सरकार अवगत है;

(ख) जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा, यदि कोई हों तो, क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में न्यायाधीश-वाद अनुपात और न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात क्या है; और

(घ) न्यायाधीश-वाद और न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : मामलों का न्यायनिर्णयन और निपटारा न्यायपालिका के अनन्य कार्यक्षेत्र में आता है और केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

तथापि, सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने और लंबन को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं । अगस्त, 2011 में न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन महत्वपूर्ण कदम था | मिशन ने प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । वर्षों से, मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

न्यायपालिका अवसंरचना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, न्यायालय कक्षों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वाटरों,

वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जो अधिवक्ताओं और मुवक्किलों के जीवन को आसान बनाएगा, जिससे न्याय के परिदान में सहायता मिलेगी । वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 10,035 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 30.06.2023 तक 21,365 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2023 तक 18,846 हो गई है ।

इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया है । अब तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन (डब्ल्यूएएन) कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । 3,240 न्यायालय परिसरों तथा 1,272 साद्दश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 815-ई सेवा केन्द्रों का गठन किया गया है । 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 आभासी न्यायालयों का गठन किया गया है । 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ मामलों से अधिक मामलों का निपटारा किया है और जुर्माने में 408 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है । ई-न्यायलय का चरण 3 आरंभ होने वाला है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आईए) और ब्लॉक चैन जैसी अद्यतन प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करके न्याय परिदान को अधिक मजबूत, सरल और सभी पणधारियों तक पहुंच बनाने के लिए आशयित है ।

सरकार, उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को नियमित रूप से भर रही है । तारीख 01.05.2014 से तारीख 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 653 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
07.08.2023	25,254	19,846

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आता है ।

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, सभी 25 उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं । बकाया समितियां जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है ।

चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान के अधीन, सरकार ने जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित

निपटान न्यायालयों की स्थापना की है । 31.05.2023 को, जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 832 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए, नौ (9) राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए हैं ।

न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियां संपूर्ण हृदय से संवर्धित की गई हैं । तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया, जो वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है ।

लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं | पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों में निपटान किए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	**पूर्व-मुकदमेबाजी मामले**	**लंबित मामले**	**सकल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023 (17.06.2023 तक)	3,00,11,291	1,88,686	3,61,99,977
कुल	**6,82,32,800**	**2,26,81,224**	**9,09,14,024**

सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की

मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	**45,81,912**		**44,66,376**	

देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदीयमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

(ग) और (घ) : विभिन्न न्यायालयों के लिए देश में न्यायाधीश-मामला अनुपात का विस्तृत विवरण **उपाबंध–1** पर है ।

न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के मामले में, विशेष वर्ष में विभाग जनगणना 2011 के अनुसार और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनसंख्या का उपयोग करते हुए मानदंड का उपयोग करता है । जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का आधार 1210.19 लाख था और वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात तुलनात्मक रुप में प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग 21 न्यायाधीश है ।

केन्द्रीय सरकार की न्यायाधीश-मामला अनुपात और न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के सुधार में सीमित भूमिका है क्योंकि यह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि पर निर्भर है । उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों नियुक्ति के मामले में यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पद

संख्या में वृद्धि, के कारण उद्भूत होती रहती है । अतः जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है जिसमें केन्द्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

****

उपाबंध-1

'न्यायालयों में लंबित मुकदमे' से संबंधित राज्य-सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2509 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

देश में न्यायाधीशों और मामलों के बीच अनुपात				
क्र.सं.	**न्यायालय**	**मामलों की संख्या**	**न्यायाधीशों की संख्या**	**अनुपात**
1.	उच्चतम न्यायालय	69,766 (तारीख 01.07.2023 तक लंबित)	34	2051.94
2.	उच्च न्यायालय	60,63,499 (तारीख 04.08.2023 तक लंबित)	1,114	5443.0
3.	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय	4,44,07,204 (तारीख 04.08.2023 तक लंबित)	25,246	1758.98

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2510
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

2510. श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा डिजिटलीकृत रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के विषय में अवगत है जबकि उनकी संबंधित वेबसाइटों पर सरकार द्वारा वित्त पोषण किया गया है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे डिजिटलीकृत रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता के बिना डिजिटलीकरण का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा डिजिटल रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई किसी पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायालय रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण संबंधित उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक प्रशासनिक मामला है और सरकार की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना देश की जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका के साथ-साथ वादियों, वकीलों और अन्य पणधारियों को निर्णय आदि के लिए न्यायालय प्रक्रियाओं को तेज करके और मामले की स्थिति, आदेशों/निर्णयों पर जानकारी का पारदर्शी ऑनलाइन प्रवाह प्रदान करके मामलों के तेजी से निपटान की सुविधा प्रदान करना है । ई-न्यायालय चरण-1 (2011-15) का उद्देश्य न्यायालयों का बुनियादी कम्प्यूटरीकरण और स्थानीय नेटवर्क संयोजकता प्रदान करना था । परियोजना का चरण 2 (2015-23) 18735 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने और इन्हें वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के साथ जोड़ने के अलावा नागरिक-केंद्रित ई-सेवाओं पर केंद्रित है । अभिलेखों का डिजिटलीकरण ई-न्यायालय परियोजना चरण 2 का भाग नहीं था । तथापि , स्कैनिंग, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और न्यायपालिका के विरासत डाटा के संरक्षण के लिए एक डिजिटल संरक्षण मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा एक उप-समिति का गठन किया गया था । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की

अध्यक्षता में 21 अक्टूबर 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अपनी पूर्ण निकाय बैठक में एसओपी को मंजूरी दी गई ।

डिजिटल रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता की सुविधा के लिए, न्याय विभाग ने ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय के साथ निकट समन्वय में ई-न्यायालय परियोजना चरण 2 के भाग के रूप में निम्नलिखित पहल की है:

- ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन अब तक 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है ।
- मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) जो एनआईसी द्वारा नि:शुल्क और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफ़ओएसएस) पर विकसित ई-न्यायालय का आधार बनता है ।
- 7 प्लेटफार्मों के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की गईं । एसएमएस पुश एंड पुल, ई-मेल, ई-न्यायालय सेवा पोर्टल, न्यायिक सेवा केंद्र, सूचना कियोस्क, ई-न्यायालय मोबाइल ऐप (30 जून 2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30 जून 2023 तक 19,164 डाउनलोड) ।
- ई-वकालतनामा, ई-हस्ताक्षर, शपथ की वीडियो रिकॉर्डिंग आदि जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ ई-फाइलिंग सिस्टम संस्करण 3.0 शुरू किया गया । ई भुगतान मॉड्यूल के साथ एकीकृत ।
- निर्णयों की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए निर्णय खोज पोर्टल शुरू किया गया है ।
- एनजेडीजी को लचीली खोज तकनीक के साथ विकसित किया गया है, जो 23.58 करोड़ मामलों और 22.56 करोड़ से अधिक आदेशों और निर्णयों तक पहुंच की अनुमति देता है । विलंब के कारण जोड़े गए और 01.08.2023 को ओपन एपीआई पेश की गई ।

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), देश के उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से डिजिटलीकृत मामला अभिलेख के परिणामस्वरूप केस आंकड़ों का एक ऑनलाइन भंडार है । यह देश की कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । लगभग 3000 न्यायालय परिसर वास्तविक समय के आधार पर फाइल, रजिस्ट्रीकरण, जांच, आपत्तियां, मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय और आदेशों के लाइव डाटा को दोहराते हैं । एनजेडीजी पर सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिए मामला डाटा उपलब्ध है, जिसमें मामले की उम्र के साथ-साथ राज्य और जिले के आधार पर ड्रिल-डाउन विश्लेषण करने की क्षमता है । उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निर्णय के रिकॉर्ड को निम्नलिखित मामला संख्या, डायरी संख्या, निर्णय की तारीख, न्यायाधीश का नाम, पक्ष, अधिनियम-वार, संवैधानिक पीठ और मुफ्त पाठ मापदंडों के साथ ऑनलाइन खोजा जा सकता है ।

एनजेडीजी मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है। यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में मदद करता है और लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है । भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय डाटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी) के अनुरूप, विभागीय आईडी और मूल तक पहुंच का उपयोग करके एनजेडीजी डाटा तक आसान पहुंच की अनुमति देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार को ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) प्रदान किया गया है। हाल ही में देरी के कारणों को एनजेडीजी में सम्मिलित किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2511
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में अत्यधिक लंबित मामलों के निपटारे हेतु प्रौद्योगिकी की मदद

2511. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बढ़ते जिला न्यायालयों में सिविल एवं आपराधिक मामलों को निपटान के लिए क्या कोई समय-सीमा तय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे एवं इस प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु प्रौद्योगिकी आधारित कोई व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) देश के जिला न्यायालयों में दीवानी और आपराधिक लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी, नहीं । मामले का निपटान करना या निपटान के लिए समय सीमा तय करना न्यायपालिका के अनन्य अधिकारक्षेत्र के भीतर आता है तथा केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । अतः देश के जिला न्यायालयों में सिविल और आपराधिक मामलों के संबंध में समयसीमा तय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(ग) : ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना के अधीन, सरकार ने देश की जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को सक्षम बनाने का प्रयास किया है । इससे न्यायालय प्रक्रियाओं में शीघ्रता प्रदान करके और न्यायपालिका के साथ-साथ वादियों, वकीलों और अन्य पणधारियों को मामले की प्रास्थिति, आदेशों/निर्णयों आदि के बारे में जानकारी का पारदर्शी ऑनलाइन प्रवाह प्रदान करके मामलों के तेजी से निपटान की सुविधा मिलेगी ।

सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सक्षम करने के अपने उद्देश्य के साथ, न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट समन्वय में ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 को कार्यान्वित कर रहा है । चरण-2 तक, 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। वैन परियोजना के भाग के रूप में, सम्पूर्ण भारत में कुल न्यायालय परिसरों में से 99.4%

को संयोजकता प्रदान की गई है । राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) का उपयोग करके, वकील और मुकदमेबाज 23.34 करोड़ मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति की जानकारी तक पहुंच सकते हैं । कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामान्य न्यायालय कार्यवाही संभव नहीं थी । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हुए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों ने लगभग 2.77 करोड़ मामलों की सुनवाई की है और उच्चतम न्यायालय ने लगभग 4.82 लाख मामलों की सुनवाई की है । यातायात अपराधों की सुनवाई के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं और 419.89 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है । डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 819 ई-सेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया है । वकीलों/वादियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्मों या सेवा परिदान चैनलों के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जाती हैं । गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यायालय कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है । निर्णय खोज पोर्टल उच्च न्यायालयों के निर्णयों की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है । ई-न्यायालय परियोजना को राष्ट्रीय ख्याति के कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ।

केंद्रीय बजट 2023-2024 में, भारत सरकार ने 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण की घोषणा की । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर, व्यय वित्त समिति ने 23.02.2023 को हुई अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 का अनुमोदन किया है । इसके अलावा, प्रधान मंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 21.06.2023 को हुई अपनी बैठक में अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह ने भी अनुमोदन के लिए कैबिनेट को ई-न्यायालय चरण-3 की सिफारिश की है ।

(घ) : देश के जिला न्यायालयों में लंबित सिविल और आपराधिक मामलों को राज्यवार दर्शाने वाला विस्तृत विवरण उपाबंध-1 पर है ।

****

उपाबंध 1

'न्यायालयों में अत्यधिक लम्बित मामलों के निपटारे हेतु प्रौद्योगिकी की मदद' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2511 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

31.07.2023 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले				
क्र. सं.	**राज्य**	**सिविल**	**आपराधिक**	**दोनों**
1	अंदमान और निकोबार	3343	5287	8630
2	आंध्र प्रदेश	417412	437582	854994
3	अरुणाचल प्रदेश	403	984	1387
4	असम	101498	369244	470742
5	बिहार	526587	2990092	3516679
6	चंडीगढ़	23257	59160	82417
7	छत्तीसगढ	79713	331271	410984
8	दिल्ली	240630	989172	1229802
9	दीव और दमण	1450	1637	3087
10	सिलवासा में दादर और नागर हवेली	1960	2130	4090
11	गोवा	26092	30579	56671
12	गुजरात	409327	1298017	1707344
13	हरियाणा	458943	1073130	1532073
14	हिमाचल प्रदेश	164105	382918	547023
15	जम्मू-कश्मीर	100888	218780	319668
16	झारखंड	88955	437654	526609
17	कर्नाटक	940836	992795	1933631
18	केरल	524143	1368494	1892637
19	लद्दाख	633	590	1223
20	मध्य प्रदेश	403318	1613043	2016361
21	महाराष्ट्र	1629295	3519527	5148822
22	मणिपुर	8319	4410	12729
23	मेघालय	4441	11511	15952
24	मिजोरम	2555	3297	5852
25	नागालैंड	621	2647	3268
26	ओडिशा	284803	1247904	1532707
27	पुदुचेरी	13461	20603	34064
28	पंजाब	398883	519386	918269
29	राजस्थान	561500	1719363	2280863
30	सिक्किम	629	1173	1802
31	तमिलनाडु	753954	724220	1478174
32	तेलंगाना	345482	567425	912907
33	त्रिपुरा	11689	32928	44617
34	उत्तर प्रदेश	1869280	9784280	11653560
35	उत्तराखंड	45499	293248	338747
36	पश्चिमी बंगाल	624148	2291214	2915362
कुल		**11068052**	**33345695**	**44413747**

स्रोतः- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2512
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

देश में उच्च न्यायालय पीठों की स्थापना

2512. डा. सस्मित पात्रा :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका द्वारा विशिष्ट निर्णयों/टिप्पणियों के संदर्भ में उच्च न्यायालय पीठों की स्थापना के प्रति भारत में न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है;

(ख) क्या जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशें और डब्ल्यूपी (सी) 2000 की संख्या 379 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय परस्पर विरोधी हैं, यदि हां, तो इस पर सरकार का मत क्या है; और

(ग) क्या भारत का संविधान संघ सूची की प्रविष्टि 78 के माध्यम से सरकार को उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के लिए शक्तियां प्रदान करता है, यदि हां, तो क्या सरकार देश में उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित करने के लिए इस शक्ति का उपयोग करने की इच्छुक होगी?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 नए राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों के प्रधान स्थान और बैठने के अन्य स्थान स्थापित करने का उपबंध करती है और कहती है कि (1) किसी नए राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जो राष्ट्रपति, अधिसूचित आदेश द्वारा नियत करे और (2) राष्ट्रपति किसी भी नए राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचित आदेश द्वारा, उस राज्य के भीतर उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से भिन्न एक या अधिक स्थानों पर उस उच्च न्यायालय के एक या अधिक स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित किन्हीं अन्य विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं ।

1981 में, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए पीठों के गठन के लिए मांग से उत्पन्न सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जसवंत सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था । आयोग के संदर्भ की शर्तों को 1983 में बढ़ा दिया गया था, जिसमें सरकार को अपने मुख्य स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर उच्च न्यायालयों की पीठों को रखने के सामान्य प्रश्न के सभी पहलुओं और इस संबंध में

अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंडों की जांच करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी ।

न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग ने प्रधान स्थान से दूर और न्यायपीठ के स्थान का चयन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना की समीचीनता और वांछनीयता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय अपनाए जाने वाले कुछ व्यापक सिद्धांतों और मानदंडों की सिफारिश की थी । इस तरह के अनुरोध पर विचार करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी शामिल है कि न्यायपीठ की मांग करने वाले क्षेत्र में क्षेत्र की विशेषताएं होनी चाहिए और इस प्रकार से ऐसी आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए बड़ी जनसंख्या और क्षेत्र होना चाहिए । अन्य कारक जिन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए, इनमें यात्रा और संचार के साधन, उच्च न्यायालयों में मामला फाइल करने के लिए मुवक्किल लोगों द्वारा तय की गई दूरी, उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान पर मामलों का लंबित रहना, अवसंरचना की उपलब्धता बार के सदस्यों के साथ-साथ विधिक प्रतिभा आदि की उपलब्धता आती हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने, रिट याचिका (सिविल) सं. 2000 का 379 में, प्रधान स्थान से भिन्न केंद्रों पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए मांग से संबंधित मुद्दों की जांच की, जब कर्नाटक में फेडरेशन आफ बार एशोसिएशन द्वारा याचिका फाइल की गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 24 जुलाई, 2000 के अपने निर्णय में कहा कि, ".....उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से दूर उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के प्रश्न को भावनात्मक या मनोभाव या संकीर्ण विचारों पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय यह निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त मशीनरी है कि उस उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान के बाहर न्यायपीठ रखना आवश्यक है और व्यवहार्य है । यदि ऐसी स्थापना के लिए उच्च न्यायालय पक्ष में नहीं है तो राजनैतिक या अन्य विचारों के आधार पर उच्च न्यायालय को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित करना हानिकारक है । इसलिए उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय के विपरीत उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान से बाहर न्यायपीठ की स्थापना का निर्णय लेना प्रश्न से बाहर है, जो सहयोगी न्यायाधीशों के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात् बनाया गया था ।"

उच्चतम न्यायालय ने यह भी धारित किया कि "......चूंकि संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के मामले में महत्वपूर्ण परामर्शदाता है, जब ऐसी परामर्श प्रक्रिया के दौरान इसकी आवश्यकता होती है, तब उच्च न्यायालय का प्रमुख होने के कारण उसे राय बनानी होगी । साधारणतया मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी राजनीतिक या संकीर्ण विचारों से निर्देशित नहीं होंगे । जब वह राय देते हैं तो यह उच्च न्यायालय की राय होती है न कि केवल उनकी निजी राय.....।"

उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के प्रस्ताव पर भारत सरकार, राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव, जिसे राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार करती है । राज्य सरकार को अपने मुख्य स्थान से दूर उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं और साथ ही उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ का पूरा व्यय प्रदान करना होगा । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ के दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करनी होती है और समय-समय पर प्रधान स्थान से न्यायाधीशों को न्यायपीठ में नियुक्त करना

होता है । इसलिए, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनों सभी दृष्टिकोणों से मामले पर विचार करें और आम सहमति पर पहुंचे ।

सरकार ने उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के मुद्दे पर निर्णय लेने में राज्य सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय के बीच सर्वसम्मति की आवश्यकता के लिए एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2513
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्थानांतरण नीति

2513. सुश्री दोला सेन :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2021-22 और 2022-23 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरणों की संख्या के संबंध में आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में एक समान नीति का मसौदा तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : तारीख 01.01.2021 से तारीख 03.08.2023 तक 8 मुख्य न्यायाधीशों और 46 न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालय मे किया गया ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकार राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित (दूसरा न्यायाधीश मामला) तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसरण में बनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ।

विद्यमान एमओपी (प्रक्रिया ज्ञापन) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित है) के स्थानांतरण का प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आरंभ किया जाता है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामलें में, एमओपी (प्रक्रिया ज्ञापन) आगे यह उपबंध करता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह भी प्रत्याशा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के एक या एक से अधिक ऐसे न्यायाधीश जो अपना मत रख सकते है, के मतों पर विचार करने के साथ जिस उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण होने वाला है और जिस न्यायालय में स्थानांतरण होने वाला है, वहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति के मत पर भी विचार करेंगे । सभी स्थानातंरण लोक हित अर्थात् संपूर्ण देश मे न्याय बेहतर प्रशासन के संवर्धन के लिए किए जाते हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2514
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद एवं रिक्तियाँ

2514. श्री प्रमोद तिवारी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अधीनस्थ न्यायालयों में 25,042 पदों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 19,192 न्यायाधीश पदस्थ थे, जबकि 5850 पद रिक्त पड़े थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2022 में अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों के बढ़ने का कारण अदालतों में रिक्त पदों को न भरा जाना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के ब्यौरे, राज्य-वार **उपाबंध 1** पर सलंग्न है ।

(ख) और (ग) : तारीख 07.08.2023 तक, विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 25,254 स्वीकृत पदसंख्या के सामने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 19,846 न्यायाधीश कार्य कर रहे थे तथापि 5408 रिक्त पद शेष हैं ।

जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरने का जहां तक संबंध है, केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके संबंधित राज्य न्यायपालिका सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मामले में नियमों और विनियमों को विरचित करती है । इस प्रकार, अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों का चयन और नियुक्तियां संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं । कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया को करते हैं जब कि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से इसे करते हैं ।

(घ) : तारीख 31.12.2022 तक, 2022 में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों की लंबितता के ब्यौरे, राज्य-वार **उपाबंध 2** पर हैं ।

(ङ) और (च) : न्यायाधीशों की रिक्तियां केवल न्यायालयों में मामलों की लंबितता बढ़ाने के कारण नहीं है । न्यायालयों में मामलों की लंबितता के लिए बहुविध कारक जिम्मेदार है, जिसमें अन्य बातों के साथ भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारी की उपलब्धता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी और मुकदमेबाजों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपायोजन सहित तथ्यों की जटिलता शामिल है । अन्य कारक, जो मामलों की लंबितता को बढ़ाते हैं, जिसमें मामलों के विभिन्न प्रकारों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय-सीमा की कमी, बार-बर स्थगन और निगरानी, ट्रैक तथा सुनवाई के लिए मामलों की अधिकता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है ।

****

उपाबंध -1

'अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद और रिक्तियों' से संबंधित राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2514 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

तारीख 07.08.2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या

क्रम सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पदसेख्या
1	अंदमान और निकोबार*	0
2	आंध्र प्रदेश	618
3	अरुणाचल प्रदेश	42
4	असम	485
5	बिहार	2016
6	चंडीगढ़	30
7	छत्तीसगढ़	556
8	दादरा और नागर हवेली	3
9	दमण और दीव	4
10	दिल्ली	887
11	गोवा	50
12	गुजरात	1582
13	हरियाणा	772
14	हिमाचल प्रदेश	179
15	जम्मू-कश्मीर	317
16	झारखंड	694
17	कर्नाटक	1367
18	केरल	603
19	लद्दाख	17
20	लक्षद्वीप	4
21	मध्य प्रदेश	2028
22	महाराष्ट्र	2190
23	मणिपुर	59
24	मेघालय	99
25	मिजोरम	74
26	नागालैंड	34
27	ओडिशा	1006
28	पुडुचेरी	29
29	पंजाब	797
30	राजस्थान	1616
31	सिक्किम	35
32	तमिलनाडु	1366
33	तेलंगाना	560
34	त्रिपुरा	128
35	उत्तर प्रदेश	3694
36	उत्तराखंड	299
37	पश्चिमी बंगाल	1014
कुल		**25254**

स्त्रोत : एमआईएस पोर्टल, न्याय विभाग

***संघ राज्यक्षेत्र अदंमान और निकोबार द्वीप समूह और डब्ल्यूबी राज्य की संयुक्त स्वीकृत पदसंख्या जैसा कि पश्चिमी बंगाल राज्य के सामने दर्शायी गई है ।**

उपाबंध-2

अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद और रिक्तियों से संबंधित राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2514 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र. सं.	राज्य	तारीख 31.12.2022 तक मामलों की लंबितता
1	आंध्र प्रदेश	829147
2	तेलंगाना	1059401
3	अंदमान और निकोबार	11886
4	अरुणाचल प्रदेश	
5	असम	488800
6	बिहार	3445159
7	चंडीगढ़	79526
8	छत्तीसगढ़	411599
9	दिल्ली	1293571
10	दमण और दीव	2901
11	दादरा और नागर हवेली	3770
12	गोवा	56375
13	गुजरात	1743723
14	हरियाणा	1458270
15	हिमाचल प्रदेश	476137
16	जम्मू-कश्मीर	299716
17	झारखंड	519156
18	कर्नाटक	1893265
19	केरल	1933363
20	लद्दाख	1154
21	मध्य प्रदेश	2000268
22	महाराष्ट्र	4982911
23	मणिपुर	12269
24	मेघालय	16135
25	मिजोरम	5142
26	नागालैंड	2966
27	ओडिशा	1559338
28	पुडुचेरी	29831
29	पंजाब	922360
30	राजस्थान	2123475
31	सिक्किम	1843
32	तमिलनाडु	1432575
33	त्रिपुरा	40012
34	लक्षद्वीप	
35	उत्तर प्रदेश	10973480
36	उत्तराखंड	327350
37	पश्चिमी बंगाल	2772290
कुल		**43209164**

स्रोत. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2516
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायिक सुधार

2516. श्री राजीव शुक्ला :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लंबित मामलों को कम करने और न्याय प्रदायगी को दुरुस्त करने के लिए न्यायिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे सुधारों में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से आगे लाना शामिल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या-क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है और न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने और लंबन को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि,

अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास, भी है ।

न्याय के परिदान के हेतुक में सहायता करने के लिए न्याय विभाग द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं :--

i. न्यायपालिका अवसंरचना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, न्यायालय कक्षों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वाटरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जो अधिवक्ताओं और मुवक्किलों के जीवन को आसान बनाएगा, जिससे न्याय के परिदान में सहायता मिलेगी । वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 10,035 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 30.06.2023 तक 21,365 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2023 तक 18,846 हो गई है ।

ii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया है । अब तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन (डब्ल्यूएएन) कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 815-ई सेवा केन्द्रों का गठन किया गया है । 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 आभासी न्यायालयों का गठन किया गया है । 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ मामलों से अधिक मामलों का निपटारा किया है और जुर्माने में 408 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है । ई-न्यायलय का चरण 3 आरंभ होने वाला है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आईए) और ब्लॉक चैन जैसी अद्यतन प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करके न्याय परिदान को अधिक मजबूत, सरल और सभी पणधारियों तक पहुंच बनाने के लिए आशयित है ।

iii. सरकार, उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को नियमित रूप से भर रही है । तारीख 01.05.2014 से तारीख 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 653 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
07.08.2023	25,254	19,846

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आता है ।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, सभी 25 उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं । बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है ।

v. चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत, सरकार ने जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की है । 31.05.2023 को, जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 832 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए, नौ (9) राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए हैं।

vi. न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियां संपूर्ण हृदय से संवर्धित की गई हैं । तदनुसार वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया, जो वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

viii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं |पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023 (17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	**6,82,32,800**	**2,26,81,224**	**9,09,14,024**

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	**45,81,912**		**44,66,376**	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

(घ) और (ङ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र से बदलने और प्रणाली में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए, सरकार ने संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 को प्रवर्तन में लायी और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया जो 13.04.2015 से प्रवृत्त हुआ । तथापि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के निर्णय में दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और

शून्य घोषित किया । न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पूर्व यथा-विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली प्रभावी घोषित की गई ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले रिट या.(सि.) 2015 का 13 की सुनवायी करते समय प्रक्रिया ज्ञापन के पूरक के रुप में 16.12.2015 को एक विस्तृत आदेश जारी किया और अधिकथित किया कि भारत सरकार, भारत से मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके इसे पूरक करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रुप दे सकती है । भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीश वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मति दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेंगे। आदेश में कहा गया है कि वे कुछ कारकों को ध्यान में रखते है जैसे पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, सचिवालय, शिकायत क्रियाविधि और नियुक्ति में गोपनीयता का त्याग किए बिना उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के सिफारिश करने वालों के साथ बातचीत सहित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विविध मामले ।

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, भारत सरकार, ने 22.03.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को सम्यक तत्परता के पश्चात् एमओपी भेजा, संशोधित एमओपी प्ररुप पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम का जवाब 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुआ था । एससीसी के विचारों के जवाब में सरकार के विचार से सीजेआई को 03.08.2016 को अवगत कराया गया था । एससीसी के विचारों के जवाब में सरकार के विचार 03.08.2016 को सीजेआई को अवगत कराया गया था । प्ररुप एमओपी पर सरकार के विचारों पर एससीसी की टिप्पणी 13.03.2017 को प्राप्त हुई ।

तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने तारीख 04.07.2017 के निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध स्वतः संज्ञान ली गई अवमानना कार्यवाही में संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया के मुख्य बिन्दुओं को पुनः देखने की आवश्यकता के साथ उन्नयन के लिए उनके नाम की सिफारिश करते समय अवमानना करने वाले के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए उचित प्रक्रिया का उपबंध नहीं करने की प्रणाली की विफलता को उजागर किया । सुसंगत बिन्दुओं पर सरकार के दृष्टिकोण को तारीख 11.07.2017 को पत्र के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था । रिट या.(सि.) सं. 2019 का 1236 में तारीख 20.04.2021 के उच्चतम न्यायालय के एक अन्य आदेश के अनुसरण में सरकार ने तारीख 18.08.2021 के पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को पुनः एमओपी के अनुपूरक पैरा 24 के लिए सुझाए गए प्ररुप को प्रस्तावित किया । सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के तारीख 06.01.2023 के अपने हाल ही के संचार में विभिन्न न्यायिक उद्‌घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, एमओपी की आवश्यकता को देखते हुए इसे अंतिम रुप देने पर जोर दिया ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2517
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

कानूनी सहायता पर कम खर्च किया जाना

2517. श्री सुजीत कुमार :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है जिसमें भारत में कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति 0.75 रुपये खर्च करने की बात कही गई है और जो दुनिया में सबसे कम है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त के समाधान हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कानूनी सहायता संबंधी अवसंरचना तक पहुंच की समस्या को जानती है, जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की रिपोर्ट में दर्शाया गया है जिसके अनुसार प्रति 100,000 भारतीयों पर केवल 5 कानूनी सहायता संबंधी वकील हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त के समाधान के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : जी नहीं, समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए भारत में विधिक सहायता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के माध्यम से दी जाती है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन गठित किया गया है । इस प्रयोजन के लिए, विधिक सेवा संस्थाएं तालुक न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक स्थापित की गई हैं । सरकार, सहायता अनुदान से विधिक प्राधिकारियों/संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सभी सहायता विस्तारित करती है । अनुदान सहायता के अधीन निधियां वार्षिक आधार पर सरकार द्वारा नालसा को आवंटित और जारी की गई है ।

सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान पिछले चार वर्षों के दौरान प्रदान किए गए अनुदान को देखते हुए संगत रूप से बढ़ाया गया है । वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान क्रमश: 100 करोड़ रुपए, 145 करोड़ रुपए और 190 करोड़ रुपए का

सहायता अनुदान विभिन्न विधिक सहायता क्रियाकलापों जैसे संपूर्ण देश में लोक अदालत आयोजित करना, विधिक जागरूकता कार्यकर्मों को आयोजित करना आदि, अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सहायता प्रदान करने के लिए नालसा को सरकार द्वारा आवंटित/जारी किया गया है । वर्तमान वर्ष अर्थात् 2023-2024 के लिए 200 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान नालसा को आवंटित किया गया है जिसमें से 50 करोड़ रुपए सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं ।

(घ) से (ङ) : राष्ट्रीय विधिक संस्थाओं के पास सभी लाभार्थियों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पैनल वकीलों की पर्याप्त संख्या है । कोई लाभार्थी इस कारण से नि:शुल्क विधिक सेवा लेने से इन्कार नहीं कर सकता कि पैनल वकीलों की कमी हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2521
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण

2521. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में अदालती अभिलेखों के डिजिटलीकरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अदालती अभिलेखों के डिजिटलीकरण में देरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केंद्र सरकार ने अदालती अभिलेखों का एकसमान डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रारूप निर्धारित किया है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : उच्च न्यायालय वार डिजीटाइजेशन के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर संलग्न है ।
(ख) से (घ): राष्ट्रीय ई-गर्वनेंश योजना के एक भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास हेतु ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है । इसको ई-समिति भारत का उच्चतम न्यायालय के साथ मिलकर न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । इसका ध्येय न्यायालयों को आईसीटी समर्थ बनाकर देश में न्यायिक प्रणाली को प्रवर्तित करना और न्यायिक कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों में बढ़ाना है, न्याय परिदान प्रणाली को पहुंचनीय, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है । ई-न्यायालय परियोजना के चरण-1 को वर्ष 2011-2015 के बीच कार्यान्वित किया गया था इसका अधिकांश उद्देश्य हार्डवेयर का उपापन और प्रतिस्थापन तथा नेटवर्क संबद्धता प्रदान करना था । इस चरण के अधीन 14,249 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया । परियोजना के चरण-2 को 2015-2023 से विस्तारित किया गया और इसका फोकस ई-फाइलिंग, ई-संदाय, ई-न्यायालय मोबाइल एप, वर्चुअल न्यायालय, विडियो संगोष्ठी आदि का था । इस चरण के अधीन 18,735 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया । चरण-2 के अंत तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय अभिलेखों के 73.45 करोड़ पृष्ठों को डिजिटाईज किया गया । चरण-1 और चरण-2 के फायदों से उत्साहित होकर ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 की योजना बनायी गई जो सभी न्यायालय

परिसरों में पूर्ण रूप से कार्यशील ई-सेवा केन्द्रों, कागज विहीन न्यायालयों के कार्यान्वयन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन शिक्षण आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की परिकल्पना करती है । भारत सरकार ने ई-न्यायालय चरण-3 के लिए 7000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत 3108 करोड़ अतिरिक्त पृष्ठों का डिजिटाईजेशन सम्मिलित है जिसके अन्तर्गत सभी विरासत अभिलेख और लम्बित मामले सम्मिलित हैं । ई-समिति भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय अभिलेखों की स्कैनिंग, भंडारण, पुनः प्राप्ति और न्यायपालिका के लिए विरासत डाटा के परिरक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है । एसओपी को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति डा. डी. वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 21 अक्तूबर, 2022 को ई-समिति भारत का उच्चतम न्यायालय की पूर्ण निकाय बैठक में अनुमोदित किया गया । ई-न्यायालय चरण-3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और व्यय वित्त समिति ने 23.02.23 को आयोजित अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 का अनुमोदन कर दिया । इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ने 21.06.23 को आयोजित अपनी बैठक में ई-न्यायालय चरण-3 की मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए सिफारिश की है ।

****

उपाबंध -1

न्यायालय अभिलेखों का डिजिटाइजेशन से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2521 जिसका उत्तर 10/08/2023 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । न्यायालय अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की प्रगति निम्नानुसार है :-

वर्तमान डिजिटाइजेशन की उच्च न्यायालय-वार प्रास्थिति		
क्र. सं.	**उच्च न्यायालय स्थान**	**डिजिटाईज्ड पृष्ठों की कुल संख्या**
1	कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिमी बंगाल	1,22,00,000
2	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	19,68,00,000
3	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	17,90,00,000
4	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं
5	गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम	2,92,17,338
6	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	75,34,000
7	गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा पीठ	2,80,000
8	गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	00
9	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं
10	गुजरात उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं
11	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर	15,40,00,000
12	मेघालय उच्च न्यायाल, शिलांग	00
13	गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आईजोल पीठ, मिजोरम	29,867
14	ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक, ओडिशा	1,22,00,000
15	सिक्किम उच्च न्यायालय, गंगटोक	6,83,861
16	मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई	50,98,000
17	तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद	4,01,50,753
18	उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल	1,32,00,000
19	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं
20	बॉम्बे उच्च न्यायालय	00
21	दमण और दीव उच्च न्यायालय	00
22	झारखंड उच्च न्यायालय, रांची	5,50,00,000
23	कर्नाटक उच्च न्यायालय	1,13,22,389
24	मणिपुर उच्च न्यायालय	16,40,855
25	राजस्थान उच्च न्यायालय	1,61,00,000
		73,44,57,063

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2522
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

महिला न्यायाधीशों का कम प्रतिशत

2522. श्री आर. धरमार :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिला न्यायाधीशों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पुरुष न्यायाधीशों की तुलना में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में महिला न्यायाधीशों के लिए कोई प्रतिशत तय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश में न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं को शामिल करने से न्याय वितरण व्यवस्था में काफी सुधार होगा; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : 04.08.2023 तक 3 महिला न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हैं, 106 महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं, 7199 महिला न्यायाधीश जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत हैं ।

(ख) से (छ) : केन्द्रीय सरकार की न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट प्रतिशत को नियत करने में सीमित भूमिका है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उनकी नियुक्ति क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं ।

इसके अतिरिक्त, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की दशा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, संबधित उच्च न्यायालय के परामर्श से

विशिष्ट प्रवर्गों जैसे महिला आदि के लिए नियुक्ति, भर्ती और आरक्षण से संबंधित मामले में नियमों और विनियमों को, विरचित करती है । इस प्रकार, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है और केन्द्रीय सरकार की इस मामले की कोई भूमिका नहीं है ।

तथापि, सरकार महिलाओं सहित न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावणीय, समावेशी और सहभागीतापूर्ण हो । इस दिशा में सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंध रखने वाले उपयुक्त अभ्यर्थों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2523
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

मुकदमेबाजी की लागत को कम करने के लिए योजना

2523. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में पिछले संचित मामलों को कम करने के लिए कोई पहल की है; और

(ग) क्या सरकार के पास आम/गरीब लोगों के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम करने की कोई योजना है और पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध आंकड़ों, विधि कार्य विभाग और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के अनुसार, आज की तारीख में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों और अधिकरणों में लंबित मामलों की संख्या, इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	न्यायालय/अधिकरण का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	69,243 (31.07.2023)*
2	उच्च न्यायालय	60,63,499 (08.08.2023)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,44,00,820 (08.08.2023)**
4	अधिकरण	2,62,611 (18.07.2023)***

स्रोत * भारत का उच्चतम न्यायालय । **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) । *** विधि विभाग ।

(ख) : जबकि मामलों का निपटान न्यायपालिका के विशेष क्षेत्र में है और केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के

शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । पिछले कुछ वर्षों में, मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है । न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए न्याय विभाग द्वारा की गई पहल का विवरण इस प्रकार है:

न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है । आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10035 करोड़ रुपए जारी किए गए है। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है ।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है । कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 815 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 18 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 408 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है । ई-न्यायालय का चरण 3 शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को शामिल करने का आशय रखता है ।

सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
07.08.2023	25,254	19846

तथापि,अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं । जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है ।

चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामले के लिए सरकार ने जघन्य अपराधों के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की है । 31.05.2023 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के खिलाफ अपराधों आदि के लिए 832 फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्यरत हैं।निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष अदालतें कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने आईपीसी के अधीन बलात्संग के लंबित मामलों और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है । आज तक, 28 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं ।

लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है । तद्नुसार, तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023 (17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	**6,82,32,800**	**2,26,81,224**	**9,09,14,024**

सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा**

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	**45,81,912**		**44,66,376**	

देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 22 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

(ग) : यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधिक सेवाएं नि:शुल्क और न्याय प्रदान किया जा सके ।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान विधिक सहायता क्रियाकलापों के लिए एनएएलएसए को प्रदान किए गए अनुदान-सहायता (जीआईए) का विवरण इस प्रकार है:-

(करोड़ में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**जीआईए आवंटित**
1	2018-19	150
2	2019-20	140
3	2022-21	100
4	2021-22	145
5	2022-23	190

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2524
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

सरल, सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने हेतु कार्य योजना

2524. श्री हरनाथ सिंह यादव :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक प्रणाली को सरल, सुलभ और सस्ता बनाने के लिए देश के नागरिकों को क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय प्रदान करने हेतु कोई कार्य योजना निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देर से मिले न्याय को अन्याय मानकर वादकारियों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु वाद की प्रकृति के अनुसार समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था निर्धारित करने पर कोई विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : जी हां, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 (1) (क) कहता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । तथापि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 का खंड (2) कहता है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । कैबिनेट समिति ने तारीख 21.05.1965 के अपने निर्णय में यह बताया है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

तद्नुसार राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का उपयोग 1950 में संविधान में अनुच्छेद 348 के खंड(2) के अधीन प्राधिकृत किया गया था। ऊपर उल्लिखित तारीख 21.05.1965 के कैबिनेट समिति के निर्णय के पश्चात् उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार(1972) उच्च न्यायालयों में भारत को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, न्यायिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय विधिक अनुवाद साफ्टवेयर (एस यू वी ए एस) विकसित किया, जो आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस द्वारा प्रशिक्षित मशीन से सहायता प्राप्त एक अनुवाद उपकरण है । एस यू वी ए एस को इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है । यह उपकरण विशेष रुप से न्यायिक डोमेन के लिए डिजाइन किया गया है और वर्तमान में अंग्रेजी न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों या निर्णयों को दस देशी भाषा जो है, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, बंगला, उर्दू में और इसके विपरीत अनुवाद करने की क्षमता रखता है ।

समयबद्ध न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन उचित अवसंरचना और विशेष न्यायिक मानव शक्ति के साथ वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की गई। वर्तमान में, 35 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय दिल्ली में, 6 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय मुंबई में, 8 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय बंगलूरू शहर में और 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय बंगलूरू के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं इसके अतिरिक्त 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय कोलकाता में हैं ।

इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 20ख के अनुसार अवसंरचना परियोजना संविदा विवादों के लिए नामनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है । पुनः कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने अवसंरचना परियोजना संविदाओं से संबंधित ऐसे विवादों की सुनवायी के लिए सप्ताह/माह में समर्पित दिनों को आवंटित किए हैं ।

दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, पटना और मद्रास उच्च न्यायालय उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवदों अर्थात् 500 करोड़ रुपए से अधिक के निपटारे के लिए विशेष न्यायपीठें स्थापित की हैं । अन्य उच्च न्यायालय भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ।

पुराने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए, अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था, जिसके आधार पर सभी 25 उच्च न्यायालों में पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए बकाया समितियों का गठन किया गया है । जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियां गठित की गई हैं ।

****